अंक 4
जनवरी- मार्च 2018

# मणिकांचन

## हिंदी पत्रिका

एमएमटीसी
लिमिटेड
MMTC
LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
*touching lives, adding value*

एमएमटीसी लिमिटेड, राजभाषा प्रभाग, कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली

Immerse in
elegance
PURITY 92.5% GUARANTEED
SANCHI
SILVER IN STYLE
MMTC brings to you a fine collection of Silverware that enhances the richness of your lifestyle.
Choose from a range of fascinating works of art that make truly memorable and enduring gift items.
Purity you can always trust...
• Decorative Products • Utility Products • Table Accessories • Religious Products
MMTC JEWELS
**For your Institutional Bulk Orders / Corporate Purchases, please contact: GM (Precious Metal), MMTC Limited,** Core-1, Scope Complex, 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003, Ph.: 011-24363563, 24362200 Extn. - 1374.
**For all your purchases during the festive season and throughout the year, visit our MMTC Jewels showrooms at :** Delhi - MMTC Limited, Core-1, Scope Complex, 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi - 110003, Ph.: 011-24365805, MMTC Limited, F-8-11, Jhandewalan Flatted Factories Complex, Rani Jhansi Road, New Delhi - 110055, Ph.: 011-23513793, **IPL Swaranlaya**: Indian Potash Limited, Potash Bhawan, 10 B, Rajendra Park, Pusa Road, New Delhi - 110 060, Ph.: 25761540, 25732438. **MMTC Showroom (Cross River Mall):** G-41, Ground Floor, Cross River Mall, CBD Ground, Shahdara, Delhi -110032, Ph.: 42111877.
एमएमटीसी लिमिटेड
MMTC LIMITED
भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE
touching lives, adding value
For nearest MMTC showroom / stockists and enquiries call our All India Toll Free No. 1800 1800 000 (9 am to 9 pm)
For exciting display of Sanchi Silverware & Medallions log on to www.mmtcretail.com

# विषय सूची


| क्र.सं. | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1 | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश | 02 |
| 2 | निदेशक (कार्मिक) का संदेश | 03 |
| 3 | संपादकीय | 04 |
| 4 | विश्व भाषा के रूप में हिन्दीः नए प्रतिमान | 05 |
| 5 | नराकास प्रतियोगिता | 08 |
| 6 | अन्न संरक्षण भी अन्न उत्पादन के समान है | 09 |
| 7 | पोंगल–किसानों की खुशहाली का पर्व | 11 |
| 8 | केन्द्र सरकार के उपक्रमों में हिंदी की उपयोगिता | 13 |
| 9 | जीवन का दीप जलाती रंगोली | 15 |
| 10 | एमएमटीसी, चेन्नई में अंबेडकर जयंती समारोह | 17 |
| 11 | बेटी बचाओः बेटी पढ़ाओ | 19 |
| 12 | निर्यात संबंधी दस्तावेज | 21 |
| 13 | आंतरिक लेखा परीक्षा–एक आवश्यकता या औपचारिकता | 23 |
| 14 | चरित्र का संकट | 25 |
| 15 | राजभाषा नीति की मुख्य बातें | 28 |
| 16 | संसदीय राजभाषा समिति द्वारा विजाग कार्यालय का निरीक्षण | 32 |
| 17 | कारपोरेट कार्यालय में हिंदी पखवाडे का आयोजन | 33 |
| 18 | अशोक विजय दशमी और धम्मचक्र परिवर्तन दिवस | 34 |
| 19 | एमएमटीसी में हिंदी की गतिविधियों की झांकी | 37 |
| 20 | पूर्व राष्ट्रपति के विचार | 38 |
| 21 | कविताएं | 39 |


**संरक्षक**
वेद प्रकाश
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक

**संपादक मण्डल**
राम पाल,
रामफल यादव
महेन्द्र सिंह

**प्रकाशन सहयोग**
कारपोरेट
कम्युनिकेशन प्रभाग
कारपोरेट कार्यालय

**डिस्क्लेमरः** एमएमटीसी लिमिटेड की "मणिकांचन" हिन्दी गृह पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं। यह आवश्यक नहीं है कि एमएमटीसी प्रबंधन भी इससे सहमत हो। इसके अतिरिक्त संपादक मण्डल लेखकों द्वारा भेजी गई पत्रिका में संकलित सामग्री की मौलिकता की भी गारण्टी नहीं लेता।

Designed & Printed by **Nirman Advertising Pvt. Ltd.**

# अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में हिंदी भाषा के प्रति लगाव व अनुराग पैदा करने के उद्देश्य से 'मणिकांचन' नामक हिंदी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था। राजभाषा हिंदी की प्रगति के लिए ऐसी पत्रिकाओं का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण कदम है। वैश्वीकरण के इस दौर में भाषाओं की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने देश में इस भूमिका को हिंदी भाषा ही निभा सकती है। दुनिया के हर देश को अपनी भाषा पर गर्व है। किसी भी देश की संस्कृति के विकास के लिए उसकी भाषा ही माध्यम है। अतः हमें हिंदी के प्रयोग को अपनाने में संकोच नहीं बल्कि गर्व करना चाहिए। यह हमारा वैधानिक दायित्व भी है। हिंदी जन मानस की भाषा है। यह हमें सीधे–सीधे खेत में हल चला रहे किसान, कारखाने में काम कर रहे कामगार सहित देश के सभी छोटे–बड़े नागरिकों से जोड़ती है।

पत्रिका के प्रस्तुत अंक में हिंदी साहित्य, वित्त, कमोडिटी, सामाजिक तथा जीवन के विविध क्षेत्रों से जुड़ी रचनाओं को शामिल किया गया है। मैं कंपनी के उन अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस पत्रिका के लिए लेख लिखें हैं तथा अन्य सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों का आह्वान करता हूं कि वे भी इस पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों तथा ज्ञान को साझा करें।

इस पत्रिका की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

**(वेद प्रकाश)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

# निदेशक (कार्मिक) का संदेश

कंपनी की "मणिकांचन" हिन्दी पत्रिका कर्मचारियों की अभिव्यक्ति का दर्पण है। हम अपनी व्यापारिक गतिविधियों के साथ–साथ राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार को लेकर भी काफी सजग हैं। यह हम सबका वैधानिक दायित्व भी है। "मणिकांचन" पत्रिका के पिछले अंकों को देखने से पता चलता है कि कंपनी में प्रतिभाओं की कमी नही है। कर्मचारी लेखों, वृत्तांतों, कविताओं आदि से अपनी सृजन प्रतिभा को बखूबी व्यक्त करते हैं।

व्यवसाय के वर्तमान परिवेश में ग्राहकों के निकट जाकर व्यापार के नए–नए आयामों को तलाशने की आवश्यकता है। बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते ग्राहक सेवा के स्तर को ऊँचा रखना आवश्यक है। इसके लिए हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करती है।

मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करें। सहज और सरल हिंदी में काम करते हुए हम राजभाषा हिन्दी के गौरव को तो बढाएंगे ही इसके साथ–साथ राष्ट्र के गौरव में भी वृद्धि करेंगे। इससे कंपनी की आभा में भी निखार होगा। "मणिकांचन" पत्रिका की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

**तपस कुमार सेनगुप्ता**
निदेशक (कार्मिक)

# संपादकीय

कंपनी की हिन्दी गृह पत्रिका 'मणिकांचन' के इस अंक में रचना देने वाले सभी लेखकों का सम्पादक मंडल की ओर से हार्दिक आभार। पत्रिका के इस अंक में संकलित लेखकों के विचार, संस्मरण, लेख व कविताएं इत्यादि से ही इस अंक का प्रकाशन संभव हो पाया है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में यह पत्रिका हिन्दी के ज्ञान की संवाहिका बनकर मार्ग प्रशस्त करेगी ऐसा हमारा विचार है। हिन्दी जनमानस की भाषा है। अतः हमें अपने विचारों को हिन्दी में व्यक्त करने में सहजता अनुभव होती है। आज हिन्दी को विश्व की सशक्त तथा व्यापक भाषाओं की श्रेणी में होने पर गर्व है। निज भाषा उन्नति ही राष्ट्र उन्नति का द्योतक है।

कड़ी प्रतिस्पर्धा के इस दौर में भी हमारी कंपनी अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वाह कर रही है। अपनी व्यापारिक गतिविधियों के साथ–साथ कंपनी में राजभाषा नीति को काफी गंभीरता व ईमानदारी के साथ लागू किया जा रहा है। आज राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की स्वीकार्यता और गरिमा बढ़ रही है। कार्यालय के काम में हिन्दी को प्रयोग में लाना हम सभी का दायित्व ही नहीं बल्कि वैधानिक आवश्यकता भी है। हम इस पत्रिका के माध्यम से सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि वे अपने कार्यालय का अधिक से अधिक काम हिन्दी में करें। अन्त में पत्रिका में अपने लेखों, विचारों, संस्मण व कविताएं इत्यादि देकर पत्रिका के प्रकाशन में सहयोग देने के लिए हम सभी लेखकों का पुनः धन्यवाद करते हैं तथा अन्य सभी पाठकों से भी निवेदन करते हैं कि वे पत्रिका के आगामी अंकों के लिए अपनी रचनाएं प्रेषित करें। पत्रिका को और अधिक रोचक व सूचनाप्रद बनाने के लिए हम आप सभी के सुझाव आमंत्रित करते हैं।

"मणिकांचन" शब्द का अर्थ सोने व रत्नों का मेल है। पत्रिका अपने नाम के अनुरूप ही दीप्तिमान व संग्रहणीय रहे, ऐसा हमारा प्रयास है।

सम्पादक मंडल की ओर से

**राम पाल**
अपर महाप्रबंधक (राजभाषा)

राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है – **महात्मा गांधी**

# विश्व भाषा के रूप में हिंदी : नए प्रतिमान

भारत वर्ष की प्रत्येक भाषा की अपनी आन–बान और शान है, अपना स्वाभिमान है किंतु इन सब भाषाओं को जोड़ने वाली एक स्वर्णिम कड़ी है हिंदी। यदि हम भाषाओं के माध्यम से भारतवर्ष की एकता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हिंदी के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, उनको पूरा करने में एक नई तेजस्विता अपेक्षित है।

हमारी सभी भाषाएं प्रिय हैं। सभी भाषाएं आदरणीय हैं। सभी भाषाओं में साहित्य है, काव्य है, इसलिए अपने–अपने प्रदेशों में ये भाषाएं पटरानी बनकर सम्मानित होती रहें, लेकिन उन भाषाओं की माला की मध्य मणि हिंदी ही होगी और हिंदी भारत–भारतीय का सम्मान ग्रहण करेगी। उसको वह सम्मान देना हम सबका राष्ट्रीय धर्म है।

हमारे देश में विविधता में एकता है। आप भारत की सभी भाषाओं के स्वरूप को देखिए, वह अलग अलग है। उनकी बोलने की प्रक्रिया अलग–अलग है, लेकिन सभी भाषाओं में जो एक आत्मा है, वह भारतीय आत्मा है। उसमें एक ही सुगंध है, वह है हमारे भारत की संस्कृति और अस्मिता की, इसीलिए हम विविधता में एकता की एक सशक्त मिसाल बने हुए हैं।

स्वाभाविक रूप से यह प्रकृति की देन है, हिंदी की नियति है कि उसे संस्कृति के चिंतन को प्राप्त करने का अधिकार विरासत में प्राप्त हो गया। हमारा भक्ति–काल का आंदोलन, जो हमारी संस्कृति में किया गया, श्रेष्ठ चिंतन का निचोड़ है, जिसने इस देश के जन–जन को झंकृत कर दिया था, आन्दोलित कर दिया था और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की एक अटूट शक्ति पैदा कर दी थी, उसके मूल में हिंदी ही थी। वहीं हिंदी आधुनिक काल में स्वतंत्रता–आन्दोलन की भाषा बन गयी। मैथिलीशरण गुप्त ने जब कहा था कि 'हम कौन थे', क्या हो गये हैं और क्या होंगे अभी आओ विचारें आज से मिलकर ये समस्याएं सभी" द्वारा उन्होंने हमारी पूरी मानसिकता को झकझोरेने का प्रयत्न किया था। जब माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा कि 'मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक', मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक' तो उन्होंने इस देश की युवा–शक्ति को आन्दोलित कर दिया था। जब बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने कहा था कि 'कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल–पुथल मच जाये' तो समूचा साहित्य देश की राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया था। एकाएक क्या हुआ कि सन्नाटा छा गया, इसके लिए हमें अपने अन्दर झाँकना होगा।

यह सचमुच आश्चर्यजनक है कि हम 1 अरब से ज्यादा भारतीय जिस हिंदी को राजभाषा बनाने के प्रति उदासीन रहे हैं उसे सिंगापुरवासियों ने उत्साह से अपनाया है। वहाँ की कुल आबादी में यों तो भारतीयों की तादाद केवल 6 प्रतिशत है लेकिन फिर भी वहाँ हिंदी का आकर्षण दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। इसका एकमात्र कारण भारत में नौकरी कर पाने की इच्छा नहीं है बल्कि सिंगापुर के युवा मानते हैं कि हिंदी भाषा अंतर्राष्ट्रीय होती जा रही है। अंग्रेजी और चीनी के बाद हिंदी ही प्रमुख भाषा है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है। 14 सिंतबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित यह प्रस्ताव आज तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। संविधान निर्माताओं ने तब यह प्रावधान रखा था कि अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग संघ के सभी सरकारी कार्यों के लिए जारी रहेगा। यह प्रावधान जोंक की तरह ऐसा चिपका कि अंग्रेजी 69 साल बाद भी नहीं हटी और हिंदी को इसका न्यायोचित हक नहीं मिल पाया। वह अनुवाद की भाषा बनी रह गई। वस्तुतः हर सरकारी काम मूलतः हिंदी में होना चाहिए और जरूरत हो तो उसका अंग्रेजी अनुवाद संलग्न कर देना चाहिए। प्राथमिकता और सर्वोच्चता हिंदी को ही देनी चाहिए। अंग्रेजी की हैसियत एक विदेशी भाषा की रहे। वह फ्रेंच, जर्मन या रूसी भाषा की भांति ऐच्छिक अध्ययन की भाषा ही हो। हिंदी हर प्रकार से एक संपन्न, सामर्थ्यवान संपर्क भाषा है। इसकी शब्द संपदा अंग्रेजी के मुकाबले काफी अधिक है। अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ व प्रभावशाली माध्यम हिंदी ही है। वस्तुतः यह मूल भाषा होने का सामर्थ्य रखती है किंतु अपने ही देश में इसकी शासकीय स्तर पर उपेक्षा हो रही है। हिंदी राष्ट्रीय स्वाभिमान

राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है – **महात्मा गांधी**

का प्रतीक है। जब मारीशस, फिजी, गुयाना आदि देशों में हिंदी बोली जाती है और विश्व के विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों में इसे पढ़ाया जाता है तो यहीं इसकी अवहेलना क्यों? हिंदी को समग्र देश की जनभाषा के रूप में देखा और स्वीकार किया जाना चाहिए। आश्चर्य इस बात का है कि जहां विदेशी चाव से हिंदी सीख रहे हैं वहीं हम अपनी भाषा से दुराव रखते हैं। जरूरत इस बात की है कि अंग्रेजी का मोह त्यागकर हिंदी को रोजी–रोटी से जोड़ा जाए। यह भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि अंग्रेजी का जानकार ही विद्वान होता है। जब सिंगापुर हिंदी अपना सकता है तो हम क्यों नहीं।

लोगों में यह भ्रम फैला है कि हिंदी में वह क्षमता नहीं है। लोग यह भी कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ने से अच्छी नौकरी का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अंग्रेजी पढ़ने से ही यदि नौकरी मिलती होती तो अमेरिका और इंग्लैंड में कोई भी बेरोजगार नहीं होता।

सचमुच ही लार्ड मैकाले बड़ी सूझ–बूझ का धनी व्यक्ति था। उसने अपने होम सेक्रेटरी को लिखा था कि मैं नहीं कह सकता कि भारत देश राजनीतिक रूप से आपके अधीन रह पायेगा, लेकिन इतना मैं अवश्य करके जा रहा हूं कि यह देश राजनीतिक स्वतंत्रता पा लेने के बाद भी अंग्रेजी मानसिकता, अंग्रेजी सभ्यता और अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकेगा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम जिस समस्या का सामना कर रहे हैं, आजादी प्राप्त होने के 70 वर्ष बाद भी जिस समस्या से हम उबर नहीं पाये हैं, यह हमारी मानसिकता की समस्या है। आश्चर्य की बात है कि देश की आजादी से पहले जो हिंदी स्वतंत्रता संग्राम की भाषा बनी थीं, हमारे देश की राष्ट्रीयता की वाहक बनी थी, वह हिंदी आजादी के 70 वर्षों में ऐसे स्तर पर आ गयी है। हमें चिंता होती है कि हमारा बच्चा आने वाले समय में किस भाषा में बात करेगा। आज हमारे लिए संक्रमण–काल का समय है। आज न तो हम अंग्रेजी ही ठीक से बोल पाते हैं और न ही हिंदी ठीक से बोल पाते हैं। हम आज हिंग्रेजी बोल रहे हैं, हमारे वाक्यों में आधे शब्द हिंदी के और आधे शब्द अंग्रेजी के होते हैं। हम दरअसल मिलावट और प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं।

अंग्रेजी विश्वभाषा है यह दलील उन देशों के नेता देते हैं जहां ब्रिटेन का राज था, जहां फ्रांस या हालैंड का राज्य था वहां इस "विश्वभाषा" की पूछ नहीं है, भारत में अंग्रेजी की तरह वहां फ्रांसीसी और डच का अधिपत्य है। बात समृद्ध और विश्वभाषा की नही है, बात है गुलामी की। आप जिसके गुलाम थे, उसी की भाषा को अपने गले का तौंक बनाये हुए हैं ।

हमने जनतंत्र–पद्धति को अपनाया है। इसमें तंत्र को जन की अवहेलना करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, लेकिन क्या जन ने अपनी क्षमता का इस तरह विकास किया है कि वह तंत्र की लगाम को कस कर रखे, तंत्र से कहे कि हमारी भावनाओं के अनुरूप तुम काम करो। हमारी इच्छाओं को अभिव्यक्ति नहीं मिलती, इसलिए हमारे देश का जनतंत्र डगमगाता दिखाई देता है।

तंत्र की जो भाषा है, वह हमारा जन नहीं समझता और हमारे जीवन की जो भाषा है, उसे देश का तंत्र नहीं समझता।

आज जब हम हिंदी की बात करते हैं तो समझ लीजिए कि हम भारतीय भाषाओं की भी बात करते हैं। आज जो अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ा है, वह सरकार की दोषपूर्ण नीति के कारण है ।

जब कभी देश को जोड़ने की, एक साथ लाने की, समन्वित करने की आवश्यकता हुई तो हिंदी ने आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभायी।

हिंदी को राष्ट्रभाषा / राजभाषा के रूप में स्वीकारने के तीन मूल आधार हैं :–

1) वह सीखने, बोलने और व्यवहार में अपेक्षाकृत सरल है।

2) उसके बोलने वालों की संख्या अधिक है।

3) उसमें पूरी सांस्कृतिक गरिमा और राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति की गई है। यदि हम भारतीय भाषाओं को तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो निर्विवाद रूप से हिंदी में ये विशेषताएं हैं। इस बात को पहले के लोगों ने अच्छी तरह समझा

मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूं पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो, यह मैं सह नहीं सकता – **आचार्य विनोबा भावे**

था कि हिंदी सम्पर्क भाषा का काम कर सकती है।

हिंदी का महत्व राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में नहीं, बल्कि इसलिए है कि वह एक जनभाषा है। आज सभी हिंदी–प्रेमियों व देश के हितैषी भाई–बहनों का यह उत्तरदायित्व है कि हिंदी के जनभाषा के रूप में विकास व प्रसार में योगदान करें और इसकी विश्वसनीयता में वृद्धि करें। भाषा के संघर्ष की प्रक्रिया में उसे जन–जन के संघर्षों की भाषा भी बनाना होगा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा तो वह अपने आप बन जायेगी। संविधान भी पीछे–पीछे आ ही जायेगा।

हमारे यहां से जनता की ओर से हिंदी की स्वीकृति है। जन' सामान्य हिंदी जानता है, हिंदी से प्रेम करता है और अपना काम चलाता है। जब वह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा करता है या कच्छ से लेकर ईटानगर तक जाता है, चाहे वह किसी भी भाषा का भाषी है, वहां सभी स्थानों में हिंदी से उसका काम चल जाता है।

क्या यह पक्का सबूत नही है हिंदी हमारे लिए बहुत बड़े काम की भाषा है। विदेशों में लोग जानने लगे हैं कि अगर हमें भारत को जानना है तो हिंदी के माध्यम से उसके इतिहास को, उसकी संस्कृति को, उसके आचार–विचार को हम जान सकते हैं।

भाषा के स्तर पर विषमता की बात बेमानी है, यह बुद्धिजीवियों के दिमाग की उपज है, मत–भेद, मन–भेद, विभिन्नताएं और समस्याएं बुद्धिजीवियों के मन की खुराफात हैं। जनसाधारण के लिए हिंदी की कोई समस्या नहीं है। कुंभ के मेले में आप गये हैं कभी। यदि नहीं तो आगामी कुंभ पर प्रयाग जाइए। आप पायेंगे कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के लोग ही नहीं, विदेशी भी बड़े सहज भाव से हिंदी के सहारे मेले का सुख प्राप्त करते हैं – कोई विज्ञापन नहीं, तो भी करोड़ों की तादाद में लोग हिंदी बोलकर एक दूसरे से मिलते हैं ।

आइए, हम इंडिया को भारत बनाने का दृढ़ संकल्प करें और इस देश की अस्मिता, देश की सोच, देश के चिन्तन के साथ गहराई से जुड़ने का प्रयत्न करें। हम जब इंडिया को भारत बनाने की बात करते हैं तो हम समग्रता में विश्वास करते हैं। साझा चूल्हा है हमारा। साझा इसलिए कि केरल में बैठा हुआ विद्वान हिंदी में बात करता है और तमिलनाडु में सब्जी बेचने वाला हिंदी को समझ लेता है। हिंदी भारत देश की भाषा है, वह सबको जोड़ती है। आज के समय की यह जरूरत है कि उसे मजबूत किया जाए।

हिंदी में संस्कृत के शब्दों का बाहुल्य है। यह बात अलग है कि दक्षिणवालों को संस्कृत नहीं, हिंदी अच्छी लगती है। हमारे सामने जब हिंदी के शब्द आते हैं तो उसमें स्थानीय शब्दों का होना जरूरी है। 'स्टेशन', 'टिकट' जैसे शब्द उसमें आने ही चाहिए। यह हमारे संप्रेषण के लिए ही है न।

हमारे मनीषियों ने बहुत सोच–समझकर ही अपने तीर्थस्थानों को भारत की चारों दिशाओं में स्थापित किया, जिससे एक दिशा का यात्री दूसरी दिशा में जाकर वहां के निवासियों से संपर्क कर सके और उस समय संपर्क की यह भाषा थी हिंदी। इसकी संपर्क भाषा के महत्व को स्वतंत्रता–सेनानियों ने समझा और स्वतंत्रता की लड़ाई में पूरे भारत को एकजुट करने के लिए हिंदी को अपनाया।

यह विडम्बना है कि हमारे भाग्य–विधाताओं को यह अहसास कभी नहीं रहा कि हिंदी का प्रश्न केवल भाषा या संप्रेषण की सुविधा का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय एकता का भी है। इन तत्वों का अभाव भौतिक विकास के क्षेत्र में भी देश को पिछलग्गू ही बना रहने देगा और आर्थिक साम्राज्यवाद के शोषण के लिए जमीन भी तैयार करता रहेगा, क्योंकि उससे संघर्ष करने के लिए आवश्यक जुझारू मानसिकता ही पैदा नहीं हो पाएगा। मार्क्स ने गलत नहीं कहा था, "इतिहास से सबक न लो तो उसे दोहराना ही पड़ता है।" राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय एकता किसी भी प्रकार के भौगोलिक या धार्मिक उन्माद से बिल्कुल अलग चीज़ है।

हम यह जानते हैं कि भारतीय भाषाओं का संक्रमण और संस्कृत शब्दों की उपस्थिति आज बर्मा, मलयेशिया, इंडोनेशिया,

श्रीलंका, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद, सूडान, फ़िज़ी तक की भाषाओं में दिखाई देती है। भारतीय भाषाओं के शब्द बड़े ही सहज रूप से हिंदी में चले जा रहे हैं। दक्षिण की भाषाओं, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ के भजन आप सुनिए तो आपको बहुत सारे शब्द यों ही मिल जाएंगे, जो हिंदी में बोले जाते हैं। तो जब हिंदी इतने व्यापक स्तर पर प्रचलित व समृद्ध भाषा है तो यह प्रश्न कहां उठता है कि इसकी लोकप्रियता, इसकी क्षमता में कोई कमी है। भाषा–विज्ञान और व्याकरण की दृष्टि से भी भारतीय भाषाओं में बहुत समानता है।

हिंदी भाषा के अखिल भारतीय महत्व का पहला कारण यह है कि वह भारत के बड़े जनसमूह की भाषा है। दूसरा कारण है कि वह उत्तर भारत, बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र तक की भाषाओं और हिंदी के शब्द भंडार में इतनी ज्यादा समानता है कि लोग उन्हें आसानी से समझ लेते हैं। तीसरा कारण यह है कि राजस्थान के व्यापारी और पूंजीपति भारत के विभिन्न प्रान्तों में फैले हुए हैं और साधारणतः वे हर जगह हिंदी शिक्षा, प्रचार आदि में सहायता करते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हिंदी भाषी इलाके के मजदूर मुंबई, कलकत्ता जैसे बड़े–बड़े नगरों में भारी संख्या में मिलते हैं।

हिंदी आज भारत तक ही सीमित नहीं, बल्कि विश्व के विराट फलक पर अपने अस्तित्व को आकार दे रही है और एक विश्वभाषा के रूप में तेजी से उभर रही है। हिंदी मात्र एक भाषा ही नहीं, भारतीय संस्कृति की सबल, समर्थ और सशक्त संवाहिका है जो विदेशों में बसे करोड़ों की संख्या में प्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों के बीच आत्मीयता के सीधे सूत्र स्थापित करने और उन्हें भारत, भारतीयता तथा भारतीय संस्कृति से निरंतर जोड़े रखने में एक सशक्त माध्यम का काम करती है । इसी में वे अपनी अस्मिता की पहचान भी पाते हैं ।

**(वीरेंद्र कुमार यादव)**
सदस्य हिन्दी सलाहकार समिति

# नराकास प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतने पर बधाई

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली के तत्वावधान में सदस्य उपक्रमों द्वारा नवंबर, 2017 में आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं में कारपोरेट कार्यालय के 03 कार्मिकों ने पुरस्कार जीते।

श्री जितेंद्र वर्मा, उप महाप्रबंधक (विधि) को वाद–विवाद प्रतियोगिता में विशेष प्रशंसा पुरस्कार, सुश्री मधु टंडन, मुख्य कार्यालय प्रबंधक (पीएस) को कहानी पूरी करो प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार तथा सुश्री सुधा विज, मुख्य कार्यालय प्रबंधक (पीएस) को निबंध लेखन प्रतियोगिता में विशेष प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त हुए। इन कार्मिकों को 16 मार्च, 2018 को आयोजित नराकास की बैठक तथा पुरस्कार वितरण समारोह में सचिव, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। निश्चय ही इन तीनों कार्मिकों ने ये पुरस्कार जीतकर कंपनी को गौरवान्वित किया है। इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं।

हमारी नागरी लिपि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है – **राहुल सांकृत्यायन**

# अन्न संरक्षण भी अन्न उत्पादन के समान है

समस्त विश्व की कृषि इस समय जलवायु परिवर्तन, खाद्य पदार्थों के अस्थिर मूल्य, श्रमिकों एवं कृषि योग्य भूमि के अभाव की चुनौतियों से जूझ रही है। हम सबके सामने सबसे बड़ी समस्या भूमि, जल एवं श्रमिकों के घटते साधनों के साथ बढ़ती जनसंख्या के भरण–पोषण की है। खाद्य एवं कृषि संस्थान (एफएओ) ने अनुमान लगाया है कि खेत से लेकर हमारे शरीर तक पहुंचने में लगभग अन्न की एक तिहाई मात्रा बर्बाद हो जाती है। इससे न केवल जनता के पोषण में कमी आती है, बल्कि इससे विश्व में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी होता है।

यह सच्चाई है कि विश्व में 2050 की अनुमानित जनसंख्या का पेट भरने लायक अन्न का उत्पादन हम आज भी कर रहे हैं। लेकिन अन्न की बर्बादी के कारण हमारी वर्तमान जनसंख्या का भी पेट नहीं भर पाता है। अन्न का अधिक उत्पादन करने से उसका संरक्षण करना अधिक सस्ता व्यापार है। फिलहाल विश्व में अन्न को सुरक्षित रखने के लिए मात्र चार प्रतिशत का निवेश किया जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों में अन्न की दो–तिहाई बर्बादी फसल की कटाई से पहले ही या कटाई के बाद उसके वितरण तक हो जाती है। करोड़ों डालर की उपज यूं ही बर्बाद हो जाती है।

यूं तो भारत अन्न के उत्पादन के मामले में विश्व में शिखर पर है। परन्तु यहाँ छोटे–छोटे खेतों की अधिक संख्या और बुनियादी ढांचां पर्याप्त नही है। जब तक इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया जाता, तब तक हम विश्व के खासे अन्न उत्पादक होते हुए भी कुपोषण की सूची में ऊपर ही नजर आएंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार दुनिया में हर वर्ष लगभग 100 अरब टन भोजन की किसी न किसी कारण बर्बादी होती है। खाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा जूठन के रूप में नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ यह एक कड़वा सच है कि दुनिया की बड़ी आबादी भूखे रहने को मजबूर है। विश्व में प्रतिदिन 923 लाख लोग भूखे रहते हैं। विश्व में प्रतिदिन 35 हजार बच्चों की भोजन के बिना मृत्यु हो जाती है। दुनिया में 85 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं।

कुछ वर्षों पहले खबर आई थी कि हैती की झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग पीली मिट्टी में नमक और सब्जियों के छिलके मिलाकर एक तरह की कुकीज बनाते हैं। वही उनका मुख्य भोजन है। भारत में भी कई दबे–कुचले समुदाय के लोग इसी तरह की चीजें खाकर जिंदा रहते हैं। जाहिर है विकास नीतियों का लाभ समाज के हर तबके तक नहीं पहुंच सका है। एक वर्ग के पास खाने को इतना ज्यादा है कि वह चीजों को फेंक रहा है और दूसरा दो जून खाने से भी वंचित है।

पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण दिवस के मौके पर

मंगोलिया में एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका लक्ष्य था– भूख का इलाज। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की एक अनूठी पहल के तहत संयुक्त राष्ट्र में सतत विकास सम्मेलन के दौरान परोसे गए खाने में फूड वेस्ट से बना 'लैंडफिल सलाद' परोसा गया था। इसे सब्जियों के उस हिस्से से तैयार किया गया था, जो आमतौर पर बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। इस सम्मेलन में इस बात पर विचार किया गया कि कैसे सबको खाना उपलब्ध कराया जाए। उसमें यह अजेंडा भी शामिल था कि खाने की बर्बादी कैसे रोकी जाए। यूएनओ का मानना है कि ज्यादातर देशों के ग्रामीण इलाकों में ट्रांसपोर्ट और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं की कमी के कारण खाद्यान्नों, फलों और सब्जियों की भारी मात्रा में बर्बादी होती है। यही नहीं होटलों, रेस्टोरेंटों और शादी जैसे आयोजनों में भी बहुत सा खाना बेकार चला जाता है।

इन्हीं को ध्यान में रखकर उसने सभी देशों की सरकारों से अपील की कि वे इस मामले में अपने नागरिकों को जागरूक करें।

हमारे देश में भी यह समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। देश के कुल खाद्य उत्पादन का लगभग 30 फीसदी हिस्सा अनेक कारणों से व्यर्थ चला जाता है। इस बर्बादी की कीमत एक मोटे अनुमान के अनुसार 50 से 55 हजार करोड़ रुपये बताई जाती है। शादी–ब्याह या अन्य सामाजिक उत्सवों पर तैयार किए गए भोजन का लगभग 20 फीसदी हिस्सा कूड़े में चला जाता है।

देश में भूख की समस्या से निपटने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया है, जो आगे जाकर प्रभावी साबित हो सकता है। केंद्र सरकार का रवैया इसे लेकर सकारात्मक रहा तो निश्चय ही इसका लाभ वंचित तबके को मिल सकेगा। भोजन की बर्बादी रोकने के लिए देश और राज्य स्तर पर कई गैर सरकारी संगठन भी सक्रिय हैं। ये शादियों, पार्टियों, होटलों आदि से बचा हुआ अतिरिक्त भोजन एकत्रित कर श्रमिकों, वंचित वर्ग तक पूर्ण स्वच्छता के साथ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में जयपुर में कार्यरत संगठन 'अन्न क्षेत्र' का नाम लिया जा सकता है। इस संगठन के कार्यकर्ता वंचित तबके तक भोजन पहुंचाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास करते हैं। वे लोगों से इस काम में शामिल होने के लिए अनुरोध करते हैं, उनसे शपथपत्र भी भरवाते हैं। दिल्ली में भी इस तरह की कोशिशें तेज हो रही हैं। इस संदर्भ में जनता में जागरूकता की जरूरत है। हम अपनी निजी आदतों को इस तरह विकसित करें कि अन्न की कम से कम बर्बादी हो। फिर सरकार पर भी इस बात के लिए दबाव बनाना होगा कि वह अपने गोदामों के रखरखाव पर ध्यान दे और भंडारण की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करे। अन्न के संरक्षण को राष्ट्रीय ही नहीं मानवीय दायित्व के रूप में लेना होगा। मुनियों ने अधिक अन्न पैदा करने को व्रत कहा और अन्न संरक्षण पर जोर दिया था। अन्न सामान्य पदार्थ नहीं यह जीवन का मूलाधार है

**महेन्द्र सिंह**
मुख्य प्रबंधक,
कारपोरेट कार्यालय

→ भूखमरी ← → अन्नसुरक्षा ←

सभी भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक है तो वो देवनागरी ही हो सकती है – **जस्टिस कृष्णस्वामी अय्यर**

# पोंगल - किसानों की खुशहाली का पर्व

भारत पर्वों का देश है। हर मौसम, हर अवसर, हर दिन, हर वर्ग और प्रदेश के लिए कुछ–न–कुछ विशेष है। कुछ पर्व तो ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर मनाये जाते हैं, परतुं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें प्रादेशिक स्तर पर मनाया जाता है। इन प्रादेशिक पर्वों के साथ उस प्रदेश विशेष की कुछ मान्यताएँ जुड़ी होती हैं। वहाँ की स्थानीय संस्कृति का सामंजस्य होता है। प्रदेश चाहे जो भी हो, पर्व चाहे जैसा भी हो, इतना तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि पर्वों का हमारे सामान्य जीवन में विशेष महत्व है। ये हमारे जीवन की सही झांकी प्रस्तुत करते हैं। हमारे आदर्शों, संस्कृतियों, संस्कारों, परम्पराओं को जीवित रखने में अहम् भूमिका निभाते हैं। ये हमें हमारे अतीत, आदर्शों, विरासतों से जोड़े रखते हैं। हम कह सकते हैं कि ये पर्व हमारी संस्कृति के प्राण हैं जो हमारे जीवन में उल्लहास भरते हैं।

पर्वों की इस पंक्ति में एक नाम पोंगल का भी है। यूँ तो यह तमिलनाडु प्रदेश का प्रमुख पर्व है परन्तु सही अर्थ में यह हमारे देश की सही तस्वीर पेश करता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और पोंगल मुख्य रूप से कृषि से ही जुड़ा है।

तमिलनाडु प्रदेश में सर्दियों में भी बारिश होती है। यह बारिश धान की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। चूँकि वर्षा के देवता इन्द्रदेव माने जाते हैं इसीलिए इस पर्व में इन्द्रदेव की पूजा की जाती है। इस पर्व का समय प्रायः जनवरी महीने का होता है। धान की फसल दिसम्बर के अन्त या जनवरी के प्रारम्भ तक तैयार हो जाती है फिर उसकी कटाई होती है। इसके बाद किसान मानसिक रूप से काफी उत्साहित और प्रसन्न रहते हैं। इन स्वतंत्र एवं प्रसन्नता भरे दिनों में वे अपनी भावनाओं को भरपूर रूप से व्यक्त करते हुए पोंगल का त्योहार मनाते हैं।

पोंगल कई चरणों में मनाया जाता है। चारों ओर काफी उत्साह एवं आनन्द का वातावरण होता है। पर्व का पहला दिन भोंगी

पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन चावल का दलिया हर घर में पकाया जाता है। अपने सगे संबंधियों एवं मित्रों को आमन्त्रित किया जाता है। यह भोजन इन्द्रदेव के सम्मान में बनाया जाता है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि इन्द्र की कृपा से ही अच्छी बारिश होती है, जो धान की फसल को जीवन प्रदान करती है। अतः इस भोज द्वारा इन्द्र को धन्यवाद दिया जाता है। चावल को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इस दिन चावल खाना शुभ माना जाता है। इसीलिए लोग चावल के भिन्न–भिन्न पकवान बनाते हैं, खाते और खिलाते हैं।

पर्व के दूसरे चरण में अगले दिन सूर्य देवता का सम्मान किया जाता है। इस दिन उबले हुए चावल सूर्य देव को अर्पित किये जाते हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि धान की फसल को उगाने में सूर्य देव की अहम् भूमिका होती है। अतः महिलायें सूर्य देव की आकृतियां बनाती हैं तथा उनका पूजन करती हैं। तीसरे चरण को मत्तू पोंगल कहा जाता है। इस दिन वहाँ के लोग गाय की पूजा करते हैं। कृषि कार्य में गाय की भूमिका को महत्व दिया जाता है। इस दिन गाय को स्नान कराया जाता है, उनके माथे को सिन्दूर से रंगा जाता है तथा फूलों के हार इनके गले में डाले जाते हैं। गाय को भी तरह–तरह के पकवान खिलाये जाते हैं।

रात में लोग स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते हैं तथा सगे–संबंधियों को भोज पर आमंत्रित करते हैं। काफी पवित्रता से सब कुछ सम्पन्न किया जाता है। पोंगल काफी धूमधाम से मनाया जाता है। लोग काफी निष्ठा एवं उत्साह से सब कुछ सम्पन्न करते हैं। श्रद्धा एवं भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। पशुओं के प्रति उनका प्रेम भी सराहनीय है। यह पर्व एक नई शक्ति का संचार करता है। प्रेम, सौहार्द, आदर्श एवं एक महान परम्परा की सही तस्वीर देखने को मिलती है। पोंगल हमारी धरती की सुगंध है, परम्परा की पहचान है और हमारे आदर्शों का आईना है।

एक तरह से देखा जाए तो पोंगल जहाँ दक्षिण के राज्यों आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में मनाया जाता है वहीं इसके समान ही उत्तर भारत में मकर संक्रान्ति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रान्ति भी किसानों और उनकी किसानी से जुड़ा हुआ पर्व है और वह भी पोंगल त्यौहार के समय ही मनायी जाती है। मकर संक्रान्ति के विधि–विधान भी पोंगल के समान ही हैं। इसमें भी किसान जहाँ नदियों में स्नान करते हैं, वहीं गाय की पूजा करते हैं। मकर संक्रान्ति में किसान धान की फसल से तैयार चूड़ा और तिल से बनी मिठाइयाँ बनाते हैं और खाते हैं। नये धान का चूड़ा काफी स्वादिष्ट होता है, वहीं तिल हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक है। चूँकि उत्तर भारत में ठंड अपेक्षाकृत अधिक पड़ती है, और जनवरी माह में ठंड चरम पर होती है। ऐसे में तिल शरीर को गर्मी पहुँचाता है, साथ ही यह हृदय के लिए भी काफी लाभदायक है।

मकर संक्रान्ति के दूसरे दिन उत्तर भारत के घर–घर में चावल से बनी खिचड़ी तैयार की जाती है। यह खिचड़ी पूरे मनोयोग से बनायी जाती है, जो कि स्वादिष्ट होने के साथ–साथ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। इस तरह से देखा जाए तो पोंगल अपने विभिन्न नामों के साथ अखिल भारतीय त्यौहार है, जो पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस तरह के त्यौहार पूरे भारत को एक धागे में पिरोते हैं। साथ ही यह बात भी स्पष्ट होती है कि भारत मुख्य रूप से कृषिप्रधान देश है। कृषि और कृषक इसकी आत्मा हैं। कृषकों की खुशहाली से ही भारत खुशहाल होगा।

**एस. राजेश्वरी**
प्रबंधक
एमएमटीसी, क्षे.का.: चेन्नै

# केंद्र सरकार के उपक्रमों में हिंदी की उपयोगिता

भाषा संप्रेषण का माध्यम है। विचारों का आदान–प्रदान भाषा के द्वारा ही संभव है। राजभाषा सरकार और जनता के बीच पत्र–व्यवहार की भाषा है। केंद्र सरकार का कामकाज चलाने तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए, संविधान सभा द्वारा, 14 सितम्बर 1949 को हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में चुना गया है क्योंकि यह भाषा न केवल देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है बल्कि यह भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक परम्पराओं को जोड़ने की कड़ी भी है।

हमारे संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा की आवश्यकता और प्रयोग का उद्देश्य बताया गया है। इसके अलावा आठवीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। ये अनुच्छेद और अनुसूची राजभाषा के व्यापक सरोकारों को स्पष्ट करते हैं। इन अनुच्छेदों और अनुसूची के अध्ययन के अभाव में कई पढ़े–लिखे लोग राजभाषा संबंधी कई भ्रमों को मन में पाले रहते हैं और कई जानबूझकर भाषिक राजनीति करते हैं। बेंगलुरू के मेट्रों में हिंदी को लेकर हो रहा हंगामा इसका ताजा उदाहरण है। ये अनुच्छेद भारत की भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखकर बनाये गये हैं। जैसे कि अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी है। देवनागरी लिपि का निर्धारण करना विविध भारतीय भाषाओं का सम्मान करना है। देवनागरी लिपि एक ओर जहाँ वैज्ञानिक लिपि है, वहीं दूसरी ओर यह भारत की दस से अधिक बड़ी भाषाओं की लिपि है। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की प्रमुख भाषा नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वहीं अनुच्छेद 345 स्पष्ट कहता है कि राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं अथवा हिंदी को सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। ज्ञातव्य है कि सभी राज्य अपने–अपने प्रदेश की भाषाओं में काम करने के लिए स्वतंत्र हैं और करते हैं। आठवीं अनुसूची के तहत् केंद्र सरकार इन भाषाओं के विकास और प्रसार हेतु प्रतिबद्ध है। जैसे कि आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के व्यवहार पर संसद के अन्य भाषा–भाषिक सदस्यों को उसका अनुवाद उपलब्ध कराया जाएगा। आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थी कर सकते हैं। केन्द्र सरकार आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की समृद्धि के लिए धन मुहैया कराती है। रेडियों और दूरदर्शन अष्टम अनुसूची की भाषाओं के कार्यक्रमों और कलाकारों को प्रोत्साहन देते हैं और उनके कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। अष्टम अनुसूची में शामिल और उसके अतिरिक्त भाषाओं के लिए अलग–अलग फिल्म पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। इन प्रावधानों के होते हुए भाषा के आधार पर राजनीति करना, जनता को रोटी, विकास, रोजगार, स्वास्थ आदि मूल मुद्दों से भटकाना है। इसी राजनीति पर तंज कसते हुए हिंदी के प्रसिद्ध कवि धूमिल कहते हैं कि –

"बहस के लिए
भूख की जगह
भाषा को रख दिया है
उन्हें मालूम है कि भूख से
भागा हुआ आदमी
भाषा की ओर जायेगा
उन्होंने समझ लिया है कि–
एक भुक्खड़ जब गुस्सा करेगा,
अपनी ही अँगुलियाँ
चबायेगा"

(भाषा की रात – धूमिल)

अनुच्छेद 346 दो या दो से अधिक राज्यों अथवा राज्य और केंद्र सरकार के बीच पत्र–व्यवहार की बात करते हुए कहता है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा राज्य और संघ के बीच में पत्र–व्यवहार के लिए संघ की राजभाषा का ही प्रयोग होगा। दरअसल राजभाषा हिंदी किसी राज्य–विशेष की भाषाओं को किनारे नहीं ढ़केलती है। इसका मूल मकसद कार्यालयीन स्तर पर जहाँ दो अलग भाषा–भाषी राज्य के पत्र–व्यवहार की भाषा राजभाषा हिंदी हो, वहीं दैनंदिन जीवन में जब दो अलग–अलग भाषा–भाषी आपस में मिलें तो उनके बीच संवाद की भाषा राजभाषा हिंदी हो। अनुच्छेद 351 राजभाषा हिंदी के विकास का

प्रावधान करता है। राजभाषा हिंदी के विकास में स्पष्ट रूप से भारत की भाषिक–सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखा गया है। अनुच्छेद 351 स्पष्ट प्रावधान करता है कि संघ सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास एवं प्रसार हेतु समुचित प्रयत्न करेगी जिससे वह सारे देश में प्रयुक्त हो सके और भारत की मिली–जुली संस्कृति को अभिव्यक्त कर सके। इसके लिए संविधान में इस बात का भी निर्देश किया गया है कि हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को समाहित कर उसके शब्द–भण्डार को समृद्ध किया जाये। स्पष्ट है कि राजभाषा संबंधी प्रावधान उदार हैं और भारतीय विविधता की अक्षुणता के प्रति संकल्पित हैं।

राजभाषा हिंदी के इन्हीं व्यापक उद्देश्यों और महत्व को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार ने राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 बनाकर एक प्रकार से राजभाषा के प्रयोग को गति दे दी। इनमें, सरकारी कामकाज में किन–किन जगहों पर राजभाषा का प्रयोग हो सकता है: इसका उल्लेख किया गया।

राजभाषा के दृष्टिकोण से भारत भर को तीन क्षेत्रों (क, ख, ग) में विभाजित कर–हिंदी भाषी क्षेत्र (क), हिंदी से मिलती–जुलती भाषा–भाषी क्षेत्र (ख) और इतर हिंदी भाषा–भाषी क्षेत्र (ग)– आदि में क्रमशः तय किया गया कि राजभाषा का अधिकतम, अधिकतर और अधिक प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने वार्षिक कार्यक्रम बनाकर विभिन्न मुद्दों के लिए विभिन्न लक्ष्य निर्धारित किये हैं। सरकारी कार्यालय उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित आवश्यक कदम उठा रहे हैं –

- कार्यालय आदेश, परिपत्र, टिप्पणियाँ, आदेश, विज्ञापन, निविदाओं, आदि द्विभाषी जारी किए जाते हैं।
- छुट्टी का आवेदन पत्र जैसे आकस्मिक अवकाश, अर्जित छुट्टी, चिकित्सा छुट्टी, आदि, लेखन–सामग्री माँगपत्र प्रपत्र, ऋण आवेदन पत्र जैसेः शिक्षा, शादी, त्यौहार, आदि, चिकित्सा दावे प्रपत्र आदि द्विभाषी में बनाते हैं।
- हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही भेजे जाते हैं।
- हिंदी पत्राचार वृद्धि के लिए अलग–अलग क्षेत्रों के लिए अलग–अलग लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।
- हिंदी कार्यशालाः तिमाही आधार पर आयोजित की जाती है।
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) की बैठकें, तिमाही आधार पर, राजभाषा के कार्यान्वयन और प्रशिक्षण इत्यादि सभी पहलुओं पर विचार करने हेतु आयोजित की जाती हैं।
- हिंदी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ कक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं और उसमें उत्तीर्ण कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिया जाता है।
- हिंदी टाइपिंग/आशुलिपिक परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारियों को भी नकद पुरस्कार दिया जाता है।
- हिंदी पारंगत कक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं और इसमें उत्तीर्ण कर्मचारियों को नकद प्रोत्साहन राशि देने पर विचार किया जा रहा है।
- गृह मंत्रालय के अधीन 10000 शब्द योजना के अंतर्गत हिंदी में काम को बढ़ाने के लिए नकद प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए भारत सरकार ने, हर साल, सितम्बर माह में, हिंदी पखवाड़ा मनाने की घोषणा की है। इस दौरान, कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और नकद पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

एक गणतंत्र और जनतंत्र देश में, जनता की भाषा को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करना, किसी भी सरकार का प्रथम कर्तव्य है और उसी पर देश की उन्नति निर्भर करती है।

**– प्रेमा रामकुमार**
मुख्य कार्यालय प्रबंधक (नि.स.)
एमएमटीसी लिमिटेड, क्षे.का. – चेन्नै

हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है – **महात्मा गांधी**

# जीवन का दीप जलाती रंगोली

चेन्नै शहर के किसी भी गली में सुबह, तफरी के लिए ही सही, निकल जाइये। हर दरवाजे पर बनी रंगोली आपको अपनी ओर खींचती है। उत्तर भारत के किसी आगुंतक के लिए यह, किसी कौतुहल से कम नहीं होती है। हर दरवाजे पर बनी विविध रंगोली आपके मन को कई रंगों से रंग देती हैं और इन रंगों में उकेरी गई आकृतियाँ आपको जीवन के अनेक कोणों में ले जाती हैं। कोई आपको जीवन के रास–रंग में डुबो देती है, तो कोई अध्यात्म की गहरी तहों में ले जाती है। किसी में ईश्वरीय अनुकंपा की अनुभूति होती है, तो किसी में उस अनुकंपा से अनुप्राणित भरे–पूरे जीवन के दर्शन होते हैं। कहीं जीवन का व्यापार है, तो कहीं जीवन का सार। यह इस शहर की सभ्यता–संस्कृति की झलक है। लोगों के मन का दर्पण है। इस दर्पण में आप उनके भावों को पढ़ सकते हैं। उन्हें समझ सकते हैं और उनसे सहज दोस्ती कर सकते हैं। ऐसे, रंगोली का प्रचलन पूरे भारत भर में है। भारत के पड़ोसी राज्य नेपाल की संस्कृति में भी रंगोली का प्रचलन है। ज्यादातर भागों में रंगोली विशेष अवसरों पर बनायी जाती है, परन्तु चेन्नै की आबो–हवा में रंगोली रची–बसी है।

यहाँ हरेक सुबह सूर्य की पहली किरण का स्वागत रंगोली करती है। दिन की हर शुरूआत पूरी तन्मयता से रंगोली उकेर कर करना, इनके जीवन–दर्शन को अभिव्यक्त करता है। माना कि जीवन नश्वर है, इसमें कई बाधाएँ आती हैं, सपने टूटते–बिखरते हैं, पर जीवन का दिया जलाना कहाँ मना है। कवि–गीतकार गोपाल दास नीरज कहते हैं –

"लाखों बार गगरियाँ फूटीं,
शिकन न आई पनघट पर,
लाखों बार किश्तियाँ डूबीं,
चहल–पहल वो ही है तट पर
तम की उमर बढ़ाने वालों! लौ की आयु घटाने वालों!
लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है।"
(छिप–छिप आँसू बहाने वालों)

**– गोपाल दास नीरज**

नित्य नयी सुबह की शुरूआत नित्य नई रंगोली के साथ करना सृजन का दर्शन है। देखा जाए तो यह अखिल भारतीय संस्कृति

मैं उन लोगों में से हूँ, जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है – **लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक**

की थाती है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में यह भिन्न–भिन्न नामों से जानी जाती है। तमिलनाडु–केरल–आंध्र में कोलम, राजस्थान में माँडना, कर्नाटक में रंगोली, बिहार में अरिपन, कोहबर, बंगाल में अल्पना आदि नामों से यह जानी जाती है। प्रत्येक राज्यों की रंगोली उस राज्य की लोक–संस्कृति को अभिव्यक्त करती है। बिहार की मधुबनी पेंटिंग रंगोली का ही एक रूप है, जो विश्वभर में प्रख्यात है। मधुबनी पेंटिंग में देवी–देवताओं, प्रकृति, विवाह के दृश्यों की प्रमुखता होती है। यह इलाका शुरू से राम के जीवन–आदर्शों और कृष्ण की लीलाओं का केंद्र रहा है। तुलसीदास, विद्यापति, केशवदास आदि के राम–कृष्णमयी भक्ति गीत यहाँ घर–घर गाये जाते हैं, जो रंग–बिरंगी रंगों के साथ धरती और दीवारों पर बोलती हैं :

विभिन्न क्षेत्रों की इन रंगोलियों में प्रकृति के विविध चित्र भी मिलते हैं। एक प्रकार से इनमें प्रकृति संरक्षण के संदेश निहित हैं। प्रकृति न सिर्फ मनुष्य सहित सभी जीवों का पोषण करती है, बल्कि मनुष्य की चित्त–शांति के लिए भी यह अनिवार्य है। रंगोली में उकेरे पेड़, पौधे, नदी, सरोवर के विविध चित्र इनके संरक्षण और संवर्धन की अपील करते हैं। तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक के कोलम की सामग्री के रूप में चावल के आटे, दालों, दानों तथा कुछ बीजों का प्रयोग किया जाता है ताकि मनुष्य के चारों ओर रहनेवाले छोटे–छोटे जीव जैसे की चींटी, कीड़े, पक्षी आदि भूखे न रहें। सहजीवन की यह भावना ही मनुष्यता है।

पारिस्थिति के तंत्र में सभी एक–दूसरे पर निर्भर हैं। विकास की अंधी दौड़ में जब अधिकांश जीव–जंतुओं पर संकट के बादल छाए हैं। एक–दूसरे का ख्याल रखने की यह भावना अत्यंत आवश्यक है। कोलम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को यह सद्भावना सौंपती है।

देशभर में रंगोली ज्यादातर महिलाएँ बनाती हैं। गाहे–बगाहे इसमें पुरूष भी भाग लेते हैं, परंतु प्रमुख रूप से यह महिलाओं

की थाती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से हस्तांतरण के साथ इसका विस्तार भी हुआ है। रंगोली के महत्व को देखते हुए गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के कलाभवन में रंगोली को भी एक विषय के रूप में जोड़ा और इसके विकास के लिए काम किया। परंतु आज की केंद्र और राज्य सरकारें इसके प्रति उदासीन हैं, जबकि विदेशों में इसने अपनी पहचान कायम की है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विभागों में आज भी इसने एक प्रमुख विषय के रूप में स्थान नहीं पाया है। जबकि इस कला के प्रोत्साहन के द्वारा सरकार प्रकारांतर से महिलाओं की स्थिति को मजबूत करेगी। कई महिलाओं के लिए यह रोजगार का बेहतर साधन हो सकती है। रंगोली कला में संभावनाएँ अपार हैं। जरूरत है, इस ओर ध्यान देने की।

– **के जयश्री**
वरिष्ठ कार्यालय प्रबंधक (राजभाषा)
एमएमटीसी लिमिटेड, क्षे.का.: चेन्नई

हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी – **सी. राजगोपालाचारी**

# एमएमटीसी, चेन्नै में डॉ. अंबेडकर जयंती समारोह

लोकतांत्रिक भारत में डॉ. अंबेडकर की प्रासांगिकता दिनों–दिन बढ़ती जा रही है। डॉ. अंबेडकर के विचार तथा समाज के कमजोर समुदायों को अधिकार दिलाने के लिए उनका संघर्ष अविस्मरणीय है। देश जैसे–जैसे शिक्षित होगा, वैसे–वैसे डॉ. अंबेडकर का महत्व और बढ़ता जायेगा। समकालीन भारत के युवाओं के सर्वाधिक आदर्श व्यक्तियों में डॉ. अंबेडकर अग्रणी हैं। उनका संघर्ष युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।

बाबासाहेब का योगदान, समतामूलक समाज के उनका सपना तथा उनकी बेहतर भारत की संकल्पना को दुहराते हुए एमएमटीसी, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै में श्री एन. कृष्णमूर्ति, अपर महाप्रबंधक की अध्यक्षता में दिनांक 28 जुलाई 2017 को डॉ. अंबेडकर की 126 वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर श्री एल. मुरूगन, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। जबकि श्री मदियलगन, निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग, शास्त्री भवन, चेन्नै भी वक्ता के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरूआत श्री ए. राजगोपाल, वरिष्ठ प्रबंधक सह अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जनजाति संघ, एमएमटीसी, क्षे.का. चेन्नै के स्वागत भाषण से हुई।

उन्होंने अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, वक्ता सहित सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उनके बताये मार्गों पर ही चलकर एक सुसभ्य और बेहतर समाज की रचना की जा सकती है। समारोह के मुख्य अतिथि श्री मुरूगन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र भारत को एक मुकम्मल संविधान प्रदान करना डॉ अंबेडकर की एक बड़ी देन है। संविधान–जो पूरे भारत की विविधताओं का प्रतिनिधित्व कर सके। यह वास्तव में एक दुसाध्य कार्य था, जिसे बाबासाहेब ने पूरे मनोयोग से पूरा किया। उनके इस बेहद महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करने के लिए भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष के 26

नवंबर को संविधान दिवस मनाने की शुरूआत की है। इसके साथ ही वर्तमान सरकार ने लंदन में उनके विद्यार्थी जीवन के आवास को भी डॉ. अंबेडकर संग्रहालय के रूप में निर्मित किया है। वक्ता श्री मदियलगन ने डॉ. अंबेडकर के विस्तृत योगदानों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संविधान के अलावा अर्थशास्त्र, धर्म, दर्शन, भारतीय जाति–संरचना पर भी डॉ. अंबेडकर की अद्भुत समझ थी। अर्थशास्त्र विषय पर उनका शोध–कार्य बेहतरीन है। इसके नतीजे भारत के समकालीन आर्थिक विकास को समझने, उसे विकसित करने में कारगर हैं। समारोह के अध्यक्षीय भाषण में श्री एन. कृष्णमूर्ति ने अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए डॉ. अंबेडकर के सामाजिक योगदानों को रेखांकित करते हुए कहा कि वर्तमान पीढ़ी में जातीय आधार पर भेदभाव की भावना कम हुई है।

आनेवाली पीढ़ी इस सोच को निर्मूल कर देगी। कमजोर और वंचित तबकों में अपने अधिकारों के प्रति सजगता बढ़ी है।

डॉ. अंबेडकर के आह्वान 'शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो' का अनुसरण करते हुए इस अवसर पर एमएमटीसी, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै द्वारा सरकारी विद्यालय, पटालम, चेन्नै के लगभग 200 विद्यार्थियों में किताबें, कॉपियाँ और स्कूल बैग वितरित किए तथा उनसे जीवन में डॉ. अंबेडकर के मूल्यों को उतारने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के अंत में श्री के. बाबू, मुख्य कार्यालय प्रबंधक सह सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति संघ, एमएमटीसी, क्षे.का. चेन्नै ने कार्यक्रम के अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, वक्ता, विद्यालय के शिक्षकों, छात्रों तथा उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने डॉ. अंबेडकर के सपनों को पूरा करने की संकल्पना को दुहराते हुए उस दिशा में बढ़ते रहने की अपील की। कैंटीन के सदस्यों के योगदानों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी आयोजन की सफलता में इनकी मूक परन्तु महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कार्यक्रम में सहयोग देने वाले अन्य सभी व्यक्तियों का भी धन्यवाद किया।

**सौरभ कुमार**
उप प्रबंधक (राभा),
क्षे.का. चेन्नै.

हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है – **विलियम केरी**

# बेटी बचाओ : बेटी पढ़ाओ

**श्री बल्लभ मठपाल**, अपर महाप्रबंधक (प्रशासन)

सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना ''बेटी बचाओ : बेटी पढ़ाओ'' शीर्षक से ज्ञात हो जाता है कि भारत में कन्या भ्रूण हत्या व कन्या के गिरते जन्म दर को मद्देनज़र रखते ही इस योजना का आरंभ किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात के अध्ययन में यह पाया गया कि 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में कन्या की जन्म दर में काफी तेजी से कमी आई है। 1971 में 0 से 6 वर्ष आयु में वर्ष प्रति 1000 लड़कों पर 945 लड़कियां थी, वर्ष 2001 में प्रति 1000 लड़कों पर 927 लड़कियां थी लेकिन वर्ष 2011 में यह अनुपात प्रति 1000 लड़के पर लड़कियों की संख्या घटकर 919 रह गई। यह वाकई चिंता का विषय है कि आधुनिक सदी कही जाने वाली इस 21वीं सदी में लड़कियों की जन्मदर में निरन्तर ह्रास ही होता जा रहा है। हमारे देश में आज भी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कारणों से लड़की को बोझ माना जाता है। भारतीय हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार लड़की को पराया धन, दूसरे की अमानत माना जाता है। इसी धारणा के चलते बचपन से ही लड़कियों व लड़कों के खान–पान में भी भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को पौष्टिक आहार से वंचित रखा जाता है और उन पर घर के कामकाज तथा छोटे भाई–बहनों के देखरेख का दायित्व भी डाल दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है लड़कियों को बाल्यावस्था से ही घर के कामकाज में लगा दिया जाता है। उन्हें पढ़ाई से भी वंचित रखा जाता है क्योंकि माता–पिता की मानसिकता होती है कि लड़की को तो पराए घर जाना है तो उस पर पैसा क्यों खर्च किया जाए? लड़की के जन्म से माता–पिता को उसके विवाह–दहेज की चिंता होती है। लेकिन उसके सुखद भविष्य के निर्माण की चिंता नहीं होती। क्योंकि लड़कियों को मात्र दायित्व ही समझा जाता है। लेकिन इसी हिन्दू संस्कृति में कन्या पूजन का विधान है लेकिन सामाजिक रूढ़ियों के चलते कुछ प्रान्तों में कन्या भ्रूण की हत्या कर दी जाती है या फिर यह कहा जा सकता है कि उसे जन्म से पहले ही भ्रूण में मार दिया जाता है। संविधान प्रदत्त अधिकारों से भी लड़कियां वंचित रहती हैं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में तो वर्षों से बालिकाओं का जन्म ही नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 22 जनवरी 2015 को यह योजना महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में हरियाण के पानीपत से 100 करोड़ रू. के फंड से आरंभ की है। योजना की उद्घोषणा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आज भी हमारी मानसिकता 18वीं सदी की है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हमें अपने बेटो के लिए बहुएं चाहिएं तो लड़की का जन्म होना आवश्यक है। इस अवसर पर उन्होंने ''सुकन्या समृद्धि अकाउंट' की भी शुरूआत की और एक डाक टिकट भी जारी किया गया।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को सम्मान तथा शिक्षा प्रदान कराना है। साथ ही उन्हें सुरक्षा तथा संरक्षण भी देना है। इस योजना के प्रथम चरण में सम्पूर्ण देश के सभी राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के ऐसे 100 जिलों का चयन किया गया जहां पर बालिका जन्म दर प्रतिकूल है, लेकिन इस योजना की शुरूआत हरियाणा से इसलिए की गई क्योंकि हरियाणा के इन जिलों में बालिका जन्म दर इस प्रकार है:–

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हरियाणा | महेन्द्रगढ़ | 818 | 775 |
| 2 | | झज्जर | 801 | 782 |
| 3 | | रेवाड़ी | 811 | 787 |
| 4 | | सोनीपत | 788 | 798 |
| 5 | | अंबाला | 782 | 810 |
| 6 | | कुरूक्षेत्र | 771 | 818 |
| 7 | | रोहतक | 799 | 820 |
| 8 | | करनाल | 809 | 824 |
| 9 | | यमुनानगर | 806 | 826 |
| 10 | | कैथल | 791 | 828 |
| 11 | | भिवानी | 841 | 832 |
| 12 | | पानीपत | 809 | 837 |

–वर्ष–2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार

लगभग हरियाणा सहित सम्पूर्ण देश के राज्यों में बालिका जन्म दर कमोबेश इसी प्रकार है। इस स्थिति के मद्देनज़र इस योजना का महत्व बढ़ जाता है। और इसी योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि लिंग भेद रहित बालिकाओं का

जन्म हो तथा उन्हें शिक्षित कर सशक्त तथा सुदृढ़ नागरिक बनाया जा सके। इस योजना में जिलों के कलेक्टर के साथ पंचायतों को भी शामिल किया गया है तथा जिला स्तर पर सभी विभागों का आपस में समन्वय होगा तभी तो प्रभावी रूप से लड़कियों को जन्म का अवसर मिलेगा और उनके पालन–पोषण व शिक्षा के अधिकार को लागू किया जा सकेगा। इसी क्रम में गांवों वाली आंगनवाड़ियों में गुड्डा–गुड्डी बोर्ड बनाए जाएंगे और उन पर गांव की गर्भवती महिलाओं की संख्या तथा प्रसूति के पश्चात उस गांव में कितने लड़के व लड़कियों ने जन्म लिया है उनकी संख्या दर्ज की जाएगी। इससे गांव में लड़के व लड़की लिंगानुपात का सही आंकड़ा प्रदर्शित किया जा सकेगा। केन्द्र के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित योजना में मानव संसाधन विकास मंत्रालय व सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इसी योजना के तहत केन्द्रीय बजट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा की पायलट योजना के लिए पचास करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। यह एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि इसके माध्यम से सिस्टम पर महिलाओं का भरोसा फिर से कायम किया जा सकता है। बेटी बचाओ : बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य है:–

1. पक्षपाती लिंग चुनाव प्रक्रिया का उन्मूलन।
2. बालिकओं का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना।
3. बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना।

इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों से अपील करते हुए कहा कि चिकित्सा जीवन प्रदान करने के लिए होती है न कि जीवन लेने के लिए। कन्या भ्रूण हत्या में संलिप्त चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन लाइसेंस जब्त कर लिए जाएंगे और वे भविष्य में भी अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे।

सरकार द्वारा आरंभ की गई यह योजना ऐसे समय पर आरंभ की गई है जब कि पूरे देश में महिलाओं से संबंधित अपराधों की संख्या शीर्ष पर है। इसमें कन्या भ्रूण हत्या से लेकर सभी छोटे–बड़े अपराध शामिल हैं। इस योजना की ब्रांड एम्बेसडर बॉलिवुड की फिल्म अभिनेत्री श्रीमती माधुरी दीक्षित नेने हैं। देश की मशहूर गायिका लता मंगेशकर जी ने भी मोदी जी को उनकी इस योजना के लिए शुभकामनाएं प्रदान करते हुए कहा कि बसंतपंचमी के दिन आरंभ की गई यह योजना सफल हो।

हिन्दू अवधारणा के अनुसार शिक्षा की देवी मां सरस्वती हैं, यानि एक महिला। चाहे बालक हो या बालिका सभी इस देवी से शिक्षा के वरदान का आह्वान करते हैं:

**"मां शारदे नमस्तुभ्यं काश्मीरपुर वासिनी**
**त्वामहं प्रार्थयो नित्यं विद्या दानं च देहि मे।**

लेकिन विडम्बना देखिए कि शिक्षा की देवी सरस्वती और शिक्षा से वंचित लड़कियां।

स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी इत्यादि ने भी बालिकाओं की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा है कि–'यदि एक लड़की को शिक्षित किया जायेगा तो वह पूरे परिवार और समाज को शिक्षित कर सकती है।'

पूरे विश्व में बालिकाओं, महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति को लेकर कई अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि महिलाएं सशक्त हों और वे समाज देश और अंतर्राष्ट्रीय जगत को सशक्त कर सकें। ऐसे न जाने कितने ही उदाहरण हैं जहां पर महिलाओं ने युद्ध के दौरान शांति स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाए और वे उसमें सफल भी हुई हैं। पिछले कुछ वर्षों में मिस्र में हुए आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

पाकिस्तान की मलाला युसुफजई किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं उन्हें भी आतंकवादी संगठनों ने शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया था, लेकिन मलाला ने शिक्षा के लिए इनकी गोलियों का सामना भी किया। मलाला युसुफजई को हाल ही में नॉबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि बालिकाओं की शिक्षा कितनी अहम और महत्वपूर्ण है।

# निर्यात संबंधी दस्तावेज

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल दस्तावेजों के लेन देन द्वारा ही किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार की प्रथाओं, परम्पराओं तथा राष्ट्रीय कानूनों व नियमों का सम्मिश्रण होता है। साथ ही कई मध्यस्थ एजेंसियां/सरकारी निकाय/विभाग आदि भी निर्यात व्यापार की प्रक्रिया के अलग–अलग चरणों में शामिल होते हैं जो निर्यात दस्तावेजों को अत्यंत जटिल और विशिष्ट बना देती हैं। अतः इस कार्य के लिए ज्ञान के साथ–साथ विशेषज्ञता की जरूरत भी होती है। निर्यात डाक्यूमेंटेशन में कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जिन्हें दो वर्गो में बांटा जा सकता है :

1. मुख्य निर्यात दस्तावेज
2. सहायक निर्यात दस्तावेज

**मुख्य निर्यात दस्तावेज**

मुख्य दस्तावेज विक्रेता द्वारा क्रेता को सामान के फिजिकल ट्रांसफर तथा उनके अधिकार के ट्रांसफर और क्रेता द्वारा विक्रेता को सामान की कीमत के ट्रांसफर के काम आते हैं। ये दस्तावेज वस्तुओं की बिक्री से संबंधित स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल व बैंकिंग कानूनों के कारण आवश्यक होते हैं। इनमें इन्वायस, पैकिंग, परिवहन संबंधी दस्तावेज, मूल स्थान का प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट आफ ओरिजन, बिल आफ एक्सचेंज तथा शिपमेंट एडवाइज शामिल होती हैं।

1. इन्वायस

   इन्वायस को आमतौर पर कमर्शियल इन्वायस कहा जाता है। यह पहला आधारभूत कागज हैं जो विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें सौदे की सभी प्रमुख बातें विस्तार से दी जाती हैं। इसमें अन्य विवरणों, वस्तु का विवरण चिह्न, संख्या, मात्रा, प्रमुख गुणवत्ता, कीमत, पैकिंग का स्पेसिफिकेशन, शिपमेंट/भुगतान की शर्तें, वाहक का नाम, एयरवे बिल/बिल आफ लैडिंग की संख्या व तारीख आदि दिए जाते हैं। आामतौर पर कमर्शियल इन्वायस से पहले बिक्री की शर्तें स्पष्ट करते हुए एक प्रोफार्मा इन्वायस भेजी जाती हैं। इससे इम्पोर्टर को मदद मिलती है। प्रोफार्मा इन्वायस की सहायता से इम्पोर्टर लेटर आफ क्रेडिट तैयार करवा सकता है और इम्पोर्ट लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। इसका प्रयोग कांट्रेक्ट आफ सेल्स को पूरा करने के लिए भी किया जाता है।

2. पैकिंग लिस्ट

   ये दस्तावेज विभिन्न जांच बिंदुओं पर वस्तु के निरीक्षण तथा आवागमन में सुविधा प्रदान करते हैं। इससे वस्तु का विवरण, चिह्न तथा संख्या, मात्रा, निवल भार, कुल भार, नाम आदि दिए जाते हैं।

3. बिल आफ लैडिंग

   बिल आफ लैडिंग एक अति महत्वपूर्ण कमर्शियल व कानूनी दस्तावेज है। इसके तीन महत्वपूर्ण कार्य होते हैं:
   1. यह माल के लदान के लिए वाहक द्वारा स्वीकार करने से लेकर नामित पोर्ट तक सप्लाई का प्रमाण होता है।
   2. यह लोड किए गए माल की रसीद का काम करता है।
   3. यह अधिकार पत्र होता है।

   बिल आफ लैडिंग का महत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि यह एक अथार्टी लेटर तथा निगोशिएबल होता है। जिस किसी व्यक्ति के पास बिल आफ लैडिंग होता है वह बेयरर अथवा उसके एजेंट से सामान प्राप्त कर सकता है। बिल आफ लैडिंग तैयार करते समय एलसी, एक्सपोर्ट सेल्स कांट्रेक्ट में दी गई शर्तों का ध्यान रखना चाहिए।

4. एयरवे बिल

   एरोप्लेन द्वारा एक्सपोर्ट के मामले में एयर वे बिल ट्रांसपोर्ट डाक्युमेंट है। यह बेयरर तथा एक्सपोर्टर के बीच समझौते का पहला प्रमाण है। यह प्रमाण है कि बेयरर ने माल प्राप्त कर लिया है। इस दस्तावेज के तीन मूल भाग होते हैं तथा इसकी कई प्रतियां तैयार की जाती हैं। इसका पहला भाग बेयरर के लिए चिह्नित होता है और सामान भेजने वाले द्वारा हस्ताक्षरित होता है। दूसरा भाग इम्पोर्टर के लिए

चिह्नित होता है। इस पर भी सामान भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। इस भाग को लदान के लिए सामान प्राप्त करने के बाद बेयरर इसे प्रेषित को सौंप देता है। एयर बिल यूनिफार्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फार डाक्यूमेंटरी क्रेडिट के तहत मान्य दस्तावेज है परंतु यह बिल आफ लैडिंग की तरह निगोशिएबल नहीं होता है।

5. बिल आफ एक्सचेंज
बिल आफ एक्सचेंज सामान्यतया बेचे गए सामान के लिए क्रेडिट भुगतान व बैंकिंग माध्यम से धनराशि प्राप्त करने के लिए एक तरीके के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। यह इम्पोर्टर द्वारा एक्सपोर्टर अथवा उसके बैंक के लिए या तो एट साइट अथवा मैच्युरिटी पर एक निश्चित राशि के भुगतान का आदेश होता है।

6. मूल प्रमाणपत्र / सर्टिफिकेट ऑफ आरिजन
यह दस्तावेज मूलतः एक्सपोर्टिंग देश के कमर्शियल / व्यापार संगठनों अथवा सरकार द्वारा अधिकृत निकाय द्वारा जारी किया जाता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि एक्सपोर्टिड सामान यहीं का उत्पादन है। इस दस्तावेज की आवश्यकता विभिन्न देशों के आयात कानूनों के तहत होती है। इससे उन देशों के अधिकारियों को कोटा, अधिमान शुल्क आदि के लिए पात्रता निर्धारित करने में सहायता मिलती है।

7. मैरीन इंश्योरेंस पालिसी
मैरीन इंश्योरेंस पालिसी सामान की आवाजाही से संबंधित है जिसमें बीमाकर्ता दस्तावेज में उल्लिखित सीमा तक आवाजाही के दौरान होने वाले नुकसान व जोखिम को वहन करता है। कांट्रैक्ट आफ सेल्स में विक्रेता को वस्तु खराब होने अथवा खो जाने की स्थिति में अपने अथवा खरीदार के हित में आवश्यक बीमा करना पडता है। इंश्योरेंस पालिसी में दी गई शर्तें एलसी / सेल्स आफ कांट्रैक्ट के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें सभी जोखिम खासतौर पर वे जो किसी विशेष उत्पाद के व्यापार में सामान्यतः जुड़े होते हैं, कवर होने चाहिए।

8. निरीक्षण प्रमाणपत्र
कई बार इम्पोर्टर सामान के लदान से पहले अपने द्वारा नियुक्त किसी निरीक्षण एजेंसी अथवा टेस्टिंग हाउस से एक्सपोर्टर को सामान की जांच कराने और जांच / क्वालिटी / स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र हासिल करने को कह सकता है। कुछ देशों के एक्सपोर्टर को भी नोटिफाइड वस्तुओं के मामले में संबंधित सरकारी बॉडी / एजेंसी जो कि निर्यात के क्वालिटी कंट्रोल प्रमाणपत्र हासिल करने अथवा लदान पूर्व निरीक्षण कराना आवश्यक होता है। जहां दस्तावेजों के समझौता दायित्व का एक हिस्सा है वहीं निर्यातक द्वारा इम्पोर्टर को भेजे जाने वाले दस्तावेजों में निरीक्षण विश्लेषण प्रमाणपत्र अवश्य संलग्न किया जाना चाहिए।

9. शिपमेंट एडवाइस
व्यापार की शर्तों अथवा करार में विशेष रूप से शामिल शर्तों के अनुसार तथा शिपमेंट के प्रभावी होने के तुरंत बाद एक्सपोर्टर द्वारा इम्पोर्टर को फैक्ट आफ शिपमेंट सूचित किए जाते हैं। ऐसा आमतौर पर शिपमेंट एडवाइस द्वारा किया जाता है। इसमें इन्वायस नंबर, वस्तु का विवरण, मात्रा, पैकेटों की संख्या, चिहन, तारीख तथा जहाज के गंतव्य स्थान पर पहुंचने की संभावित तारीख आदि होते हैं। इसकी सहायता से इम्पोर्टर अपने यहां बीमा कवर हासिल करने तथा कस्टम्स क्लीयरेंस प्राप्त करता है।

**रामफल यादव**
उप महाप्रबंधक–राजभाषा

# आंतरिक लेखापरीक्षा - एक आवश्यकता या औपचारिकता?

किसी भी संस्था के लिए आंतरिक लेखा परीक्षण आवश्यक है या केवल एक औपचारिकता मात्र है इसकी विवेचना करने से पहले अंकेक्षण (लेखापरीक्षा) जिसे अग्रेंजी भाषा में ऑडिटिंग कहते हैं इसका स्वरूप और उपयोगिता क्या हैं यह जानना अत्यन्त आवश्यक है। "अंकेक्षण एक घोषित उद्देश्य के लिए आंकड़ों, कथनों, रिकार्ड, संचालन तथा संस्था के प्रदर्शन (वित्तीय या अन्य) का एक व्यवस्थित व स्वतन्त्र परीक्षण है। इसके माध्यम से लेखा परीक्षक (ऑडिटर) सबूत एकत्र करता है, उसका मूल्यांकन करता है तथा उसके आधार पर अपनी आडिट रिर्पोट के माध्यम से अपने फैसले को सूचित करता है।" ऑडिटिंग मुख्यतः तीन प्रकार की होती है (1) सरकारी लेखापरीक्षा (2) आंतरिक लेखापरीक्षा (3) सांविधिक (Statutory) लेखा परीक्षा। यहाँ हम आंतरिक लेखापरीक्षा की विवेचना कर रहें हैं। "आंतरिक लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र प्रबंधन कार्य हैं जिसमें संस्था/यूनिट के कामकाज का महत्वपूर्ण मूल्यांकन शामिल है ताकि संस्था का शासन तंत्र तथा रणनीतिक जोखिम प्रबंधन मजबूत हो सके।

2. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंधन का एक पक्ष है। इसकी सेवा का उद्देश्य उच्च स्तरीय होना चाहिए। प्रबंधन को आंतरिक नियंत्रण जोखिम (Risk Management), संसाधनों के उपयोग, कानूनों के अनुपालन, प्रबंधन सूचना प्रणाली जैसे क्षेत्रों में रचनात्मक पारदर्शिता की आवश्यकता होती है। आंतरिक लेखापरीक्षा स्वतंत्रता पूर्वक की जानी आवश्यक है। ऑडिटर पर किसी भी प्रकार का दबाव या प्रभाव नहीं होना चाहिए क्योकि वह निष्पक्ष होकर लेन–देन की सटीकता, पूर्व भुगतान सत्यापन और नियंत्रण की जाँच करता है। ऑडिटर प्रबंधन के विभिन्न स्तरों को (शीर्ष स्तर/मध्यम स्तर) अतीत की घटनाओं पर अपनी टिप्पणी देता है, कानूनों तथा नियमों के अनुपालन पर टिप्पणी देता है एंव इसके साथ–साथ जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं के मूल्यांकन तथा सुधार के सुझाव देता है। आन्तरिक लेखा परीक्षा एक सांविधिक आवश्यकता है ।

3. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के अनुसार कम्पनियों के वर्गानुसार आन्तरिक लेखा परीक्षण एक फर्म के लिए अनिवार्य है जो कि निम्नलिखित शर्तो में से किसी एक भी शर्त को पूरी करती हो (1) प्रत्येक सूचीबद्ध (Listed) कंपनी (2) प्रत्येक असूचीबद्ध (Unlisted) पब्लिक कंपनी जिसकी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदत्त शेयर पूंजी (Paid up Share Capital) 50 करोड़ रूपए या उससे अधिक हो या पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान (Turnover) 200 करोड़ रूपये या उससे अधिक हो या पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय बैंकों, पब्लिक वित्तीय संस्था का एक 100 करोड़ रूपये से अधिक बकाया हो या बकाया निक्षेप (Deposits) 25 करोड़ या अधिक हो। (3) प्रत्येक प्राइवेट कम्पनी जिसकी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान टर्नओवर 200 करोड़ रूपये अथवा उससे अधिक या पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय बैंकों या पब्लिक वित्तीय संस्था से बकाया ऋण या उधारियां 100 करोड़ रूपये या उससे अधिक हो। "उपरोक्त मानदंडो में से किसी एक भी मानदंड के अधीन आने वाली विद्यमान कम्पनी धारा 138 की अपेक्षाओं का अनुपालन 6 (छः) मास के भीतर करेगी। इस नियम के प्रयोजन के लिए (क) आंतरिक लेखा परीक्षक कम्पनी का कर्मचारी या अन्य कोई हो सकता है और नहीं भी (ख) सनदी लेखाकार (Chartered Accountant) चाहे वह व्यवसायरत हो या नहीं (ग) कम्पनी की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड, आन्तरिक लेखा परीक्षक के परामर्श से आन्तरिक लेखा परीक्षा संचालन करने के लिए उसका कार्यक्षेत्र, अवधि, तथा पद्धति तैयार करता है।

4. हमारी संस्था में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग बनाया गया है जो ऑडिट का काम एक औपचारिकता के तौर पर नहीं करता है बल्कि एक व्यवस्थित ढंग से करता है। कॉरपोरेट कार्यालय के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग के प्रमुख महाप्रबंधक हैं जो निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट करते हैं। प्रभाग प्रमुख के अधीनस्थ कई अधिकारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक लेखा प्रभाग के एक–एक कनकरंट ऑडिटर (Concurrent Auditor) की तैनाती की गई है जो प्रत्येक पखवाड़े में क्षेत्रीय कार्यालयों में हुए लेन–देन की

गतिविधियों से आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रभाग को अवगत कराते हुए अपनी टिप्पणियाँ देते हैं। इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय तथा कॉरपोरेट कार्यालय में प्रोफेशनल लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भी की गई है जिनसे आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रभाग को तिमाही रिर्पोट प्राप्त होती हैं। रिर्पोट प्राप्ति के उपरान्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग इन रिपोर्टों का मूल्यांकन करता है। जिन मुद्दो पर टिप्पणियाँ की जाती है उन मुद्दो पर क्षेत्रीय कार्यालय इन्चार्ज से जवाब माँगा जाता है। यदि जवाब उपयुक्त नहीं होता है और कम्पनी को किसी प्रकार की क्षति होने की सम्भावना दिखती है तो ऐसे मुद्दों को आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रभाग एस.एम.ए.सी. (SMAC) तथा ऑडिट कमेटी के माध्यम से उच्च स्तरीय अधिकारियों को अवगत कराता है। उस पर कमेटी जो भी दिशानिर्देश देती है उससे संस्था के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, उप क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कॉरपोरेट कार्यालय के प्रभागीय प्रमुखों को अवगत कराया जाता हैं ताकि वे उसका सटीक रूप से पालन कर, कंपनी को भावी नुकसान होने से बचा सकें।

5. कहते हैं कि "सावधानी हटी दुर्घटना घटी"। दुर्घटना तभी होती है जब मार्ग में चलते हुए हमारी आँखें मार्ग को सही न देख पाए। मार्ग सही देखने के लिए आँखों की रोशनी तेज होनी चाहिए। यह बात सही है कि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग किसी भी संस्था की आँखें होता है, जो संस्था के प्रबंधन के समक्ष वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करता है। अगर लेखापरीक्षा प्रभाग आँखें हैं तो संस्था का प्रत्येक समर्पित हितैषी कार्मिक उन आँखों की रोशनी है क्योंकि बिना रोशनी के आँखें निष्क्रिय हैं। अगर प्रत्येक कार्मिक सतर्कता के साथ नियमानुसार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है और सम्भावित जोखिम को रोकता है तो वह अवश्य ही कंपनी की आँखों की रोशनी का कार्य करता है। अगर संस्था की आँखों की रोशनी तेज होगी तो उस संस्था को ही अवश्य प्रगति का मार्ग साफ दिखाई देगा जिससे संस्था में कभी भी आर्थिक संकट रूपी घटना घटित नहीं होगी।

6. जैसे खुशहाल व समृद्ध देश में आंतरिक शांति, सुरक्षा का दायित्व सिर्फ फौजियों व पुलिस कर्मियों का ही नहीं होता है बल्कि प्रत्येक नागरिक का होता है वैसे ही समृद्ध कंपनी में कंपनी की आर्थिक सुरक्षा का दायित्व मात्र प्रबंधन व लेखापरीक्षा प्रभाग का न होकर प्रत्येक कार्मिक का होता है। प्रत्येक कार्मिक को लेखा परीक्षक की भांति सतर्कता से काम करना चाहिए तभी कंपनी का उत्थान होगा।

7. उपरोक्त विवेचना से ज्ञात होता है कि किसी भी संस्था के उत्थान हेतु लेखा परीक्षण अनिवार्य है जो संस्था इसे औपचारिकता मात्र लेती है उस पर आर्थिक क्षति रूपी बादल हमेशा मडंराते रहते हैं। हमारी संस्था इसकी उपयोगिता को समझती है तथा लेखा परीक्षण को अनिवार्य समझती है। यदि हम सभी कार्मिक अपने अंदर छिपे हुए लेखा परीक्षक को जगा दें तथा यह सकंल्प लें कि हमने कम्पनी को नवरत्न कंपनी की श्रेणी में लाना है, तो इसके लिए सभी कार्मिकों को एक टीम के रूप में लेखापरीक्षक की भांति सतर्कता के साथ तथा नियमानुसार कार्य करना होगा तथा प्रबंधन की आँखों की रोशनी बनना होगा तभी हमारी कंपनी आर्थिक क्षतियों से बचकर आर्थिक उन्नति करेगी तथा नवरत्न कम्पनी बन सकेगी। इसके लिए सब कार्मिकों को आंतरिक लेखापरीक्षक तथा सब विभागों को आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग बनकर कार्य करना होगा अर्थात सभी विभागों के कार्मिको को अपने कार्यों व लेखे जोखों का समय–समय पर स्वयं लेखापरीक्षण करना होगा जिससे हमारी कम्पनी आर्थिक उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर नवरत्न कम्पनी बन सके।

विशेषः इस लेख में आन्तरिक लेखा विभाग के सभी कार्मिकों का योगदान हैं। इसमें विशेष तौर पर श्री अनिल कुमार सक्सेना व श्री राहुल अग्रवाल का योगदान उल्लेखनीय है।

**(उमेश शर्मा )**
निदेशक (वित्त)

हमारी नागरी लिपि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है – **राहुल सांकृत्यायन**

# चरित्र का संकट

'व्यक्ति के भाग्य का जज उसका अपना चरित्र होता है।'

.... साइरस

प्राचीन काल से ही भारतवासियों को उनके अपने मानव मूल्यों के लिए जाना जाता है। हालांकि, वर्तमान युग चरित्र के संकट से गुजर रहा है। आज पुरानी मान्यताएं समाप्त हो रही हैं। धन–दौलत तथा सत्ता इनका स्थान ले रही है, इसने मानवीय संबंधों की परिभाषा को बदल डाला है तथा एक नए सामाजिक सिद्धांत ने इसका स्थान ले लिया है। इस सिद्धांत के अनुसार अपनी आवश्यकतानुसार अपने साधनों का औचित्य सिद्ध करना है जिसने नैतिक जीवन की नींव को हिलाकर रख दिया है। वर्तमान दुर्दशा हमारे लिए एक चुनौती बन गई है। जब हम में से अधिकांश जीवन की सतह पर तितलियों की तरह रहते हैं, तो चरित्र–निर्माण एक अनिवार्य कार्य बन गया है। नानी पालखीवाला ने एक बार कहा था कि एक राष्ट्र के परम संसाधन लोगों का चरित्र है, और इसी संसाधन की बदौलत इजराइल आज इतना समृद्ध देश है। मेरा मानना है कि हम भारतीयों को भी प्रकृति ने इजराइल के लोगों की तरह काफी बुद्धि दी है, लेकिन हम अपने चरित्र और कर्तव्य व समर्पण की भावना की कमी के चलते इजराइल से पीछे हैं ।"

प्रत्येक व्यक्ति अपने विकास के लिए स्वयं जिम्मेदार है तथा वह अपने चरित्र का निर्माता है। हमारा मूल्यांकन हमारे स्वयं के आचरण से किया जाता है। जैन धर्म का मानना है कि समाज का सुधार व्यक्ति के अपने स्वयं सुधार से ही संभव है। उनके रत्नात्रय हैं–सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र। धर्म की कसौटी चरित्र अथवा आचरण है। महाभारत में कहा गया है कि न तो जन्म ही और न ही संस्कार और न ही अध्ययन और न ही वंश यह तय कर सकते हैं कि मनुष्य दो बार पैदा होता है (अर्थात ब्राह्मण) इसे केवल चरित्र और आचरण ही तय कर सकते हैं। इसका क्या लाभ अगर हमारे आदर्श अच्छे हैं और हमारा जीवन तथा आचरण अच्छा नहीं है। गायत्री परिवार के संस्थापक श्री राम शर्मा आचार्य ने एक बार कहा था: "लोग इन दिनों गलती से मानते हैं कि उन्होंने कुछ शब्दों को बताने, कुछ अनुष्ठान करने या देवता को कुछ प्रस्तावों के द्वारा आत्म–ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग को अपनाया है। वे कभी अपने विचारों, चरित्र तथा मनोहर आत्मा की रोशनी में परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करते जो कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है।

हर युग के सभी महान शिक्षकों ने एक कटु सच्चाई की घोषणा की थी कि व्यक्ति का जीवन और चरित्र उसके अपने ही विचारों और आदर्शों का परिणाम हैं। उपनिषद कहता है: "मनुष्य का व्यक्तित्व वैसा ही बनता जैसा वह सोचता है" बाइबल में भी कहा गया है: 'जैसे उसके हृदय में विचार होते हैं वैसा ही वह आचरण करता है (नीतिवचन 23:7) और भगवान बुद्ध कहते हैं: 'व्यक्ति को अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। आदमी जो सोचता है, वह वैसा ही हो जाता है, एक शाश्वत रहस्य है। मनुष्य अपने भीतर विचारों को शांत करके परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। व्यक्तित्व की पहचान के तीन आयाम हैं–'विचार', "चरित्र" और "आचरण"। विचारों की निरंतरता और कल्पनाएं हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। (व्यक्ति मन में जैसा सोचता है, वह वैसा ही बोलता है, जैसा वह बोलता है वह वैसा ही आचरण करता है, जैसा वह आचरण करता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व बनता है।

अच्छे विचारों का फल अच्छा होता है, बुरे विचारों का फल बुरा होता है–और मनुष्य अपने बगीचे का खुद माली है। लोग सदा अपने से बाहर की चीजों के बारे में शिकायत करते हैं, हर चीज पर अपनी स्थिति और परिस्थितियों को दोष देते हैं। परंतु अपने विचारों तथा मानसिकता के बारे में नहीं सोचते। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि वे अपने भाग्य के निर्माता स्वयं ही हैं। जब तक मनुष्य खुद को बाहरी परिस्थितियों का प्राणी मानता है तब तक वह परिस्थितियों का ही दास बनकर रह जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह एक रचनात्मक शक्ति है तो वह अपने में छिपी हुई मिट्टी और बीज को अपनी परिस्थितियों से बाहर निकालने का प्रयास करता है, तो वह अपना मालिक खुद बन जाता है।

हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है – **सुमित्रानंदन पंत**

व्यक्ति के चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि वह अपने जीवन का कितना कार्यभार ग्रहण करता है। हमारे चरित्र निर्माण में आनंद तथा दर्द अथवा खुशी और दुख दोनों की समान हिस्सेदारी है। कुछ मामलों में, दुःख चरित्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाता है। दुनिया के अधिकांश महान व्यक्तियों ने खुशी से अधिक दुख से सीखा है तथा दोषारोपण की तुलना में अपनी आंतरिक अग्नि को इस्तेमाल किया है। हैरी ई. फॉस्डिक कहते हैं, "किसी भी व्यक्ति को वैसा रहने की आवश्यकता नहीं है जैसा वह है"। मनुष्य अपने भाग्य तथा नियति का निर्माता खुद ही है।

उपनिषद में कहा गया है :
'मनुष्य मन से जैसा सोचता है, वह वैसा ही मुंह से बोलता है
जैसा वह मुंह से बोलता है, वैसा ही वह कर्म करता है
जैसा वह कर्म करता है, वैसा ही वह बन जाता है
मनुष्य अपने कर्मों का ही फल होता है ...।

याद रहे कि चरित्र निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है क्योंकि ये ऐसे संस्कार हैं जो अवचेतन मन में निष्क्रिय बने रहते हैं। जब तक इन विचारों की तीव्रता उस चरण तक नहीं पहुंच जाती, जो संस्कारों को परिष्कृत कर सकती हो, चरित्र पूरी तरह से अप्रभावित रहता है। विचारों का यह संयोजन तथा चरित्र आचरण में परिलक्षित होता है।

चरित्र व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक ऐसा पहलू है जिस पर लोग व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी चर्चा करते हैं। इसलिए, महान आत्माओं ने हमेशा ही चरित्र निर्माण पर जोर दिया है। कार्डोजो ने कहा था: मुझे विश्वास है कि अच्छे चरित्र का व्यक्ति शांति के समय शांत रहता है तथा युद्ध के समय एक साहसी योद्धा होता है। देश के युवाओं को संबोधित करते हुए यंग इंडिया में गांधीजी ने कहा था : "यदि आप अपने चरित्र का निर्माण नहीं करते हैं और अपने विचारों और कार्यों पर स्वामित्व प्राप्त नहीं करते हैं, तो आपकी सभी छात्रवृत्ति बेकार होगी।" हेमलेट शेक्सपियर का सबसे बड़ा नाटक है तथा पोलोनीस अपने बेटे को सलाह देते हैं कि "ईमानदार, नम्र तथा निष्ठावान रहो"।

1877 में, मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने "आदत" नामक एक संक्षिप्त ग्रंथ लिखा था "जब आप एक सभ्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं" उन्होंने लिखा, "आप अपने नर्वस सिस्टम को अपना सहयोगी बनाना चाहते हैं, न कि अपना शत्रु। आप कुछ आदतों को इतनी गहरी बनाना चाहते हैं कि वे स्वाभाविक और सहज हो जाएं। नई आदत की शुरुआत को अपने जीवन की एक प्रमुख घटना बनाओ। उस आदत को अपने जीवन में गहरे से पाल लो तथा किसी भी प्रकार के अपवाद को न अपनाएं। हर दिन आत्म अनुशासन का बिना किसी फल के अभ्यास करें, तथा इस संबंध में नियमों का कड़ाई से पालन करें. .... "ऐसा करते हुए हमारा मन स्थिरता को प्राप्त कर लेगा जो हमारी एक आदत बन जाएगी और यह आदत हमारे चरित्र का एक अहम पहलू बन जाएगा जिसके माध्यम से हम अपने चरित्र का विकास कर सकेंगे। येल लॉ प्रोफेसर एंथोनी टी. क्रोनमैन का कहना है कि मानव चरित्र—आदतन भावनाओं और इच्छाओं का सम्मिश्रण है। इसलिए, ठीक ही कहा गया है :
अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करें, वे आपके शब्द बनते हैं।
अपने वचनों का ध्यान रखें, वे आपके कर्म बन जाते हैं
अपने कार्यों को देखें, वे आपकी आदत बन जाती हैं
जो आपकी आदतें होती हैं वे ही आपका चरित्र बन जाती हैं
अपने चरित्र पर ध्यान दें क्योंकि चरित्र आपकी अपनी किस्मत बन जाता है।

चरित्र निर्माण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, फिर भी बचपन ही जीवन की एक ऐसी अवस्था है जो चरित्र निर्माण के लिए विशेष समय होता है। फ्रांसिस पार्कर ने एक बार कहा था कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य चरित्र का विकास करना है। अफसोस है कि वर्तमान युग में, शिक्षक छात्र की नैतिक कमजोरियों को ठीक करने की बजाय उनमें बौद्धिक क्षमता के विकास पर बल देते हैं। वास्तव में हमें इस समय हमें उन संस्थानों की आवश्यकता है जो अपने छात्रों पर चरित्र निर्माण की एक स्थायी

छाप छोड़ सके। हमें इस तरह ऐसे संस्थान नही चाहिए जो अपनी भूमिका आधुनिक विश्वविद्यालयों की मानते हैं, बल्कि हमें ऐसे संस्थान चाहिए जो किशोरों को व्यस्क बनने में अपनी व्यापक भूमिका निभा सकते हैं, छात्रों में आत्म संयम की आदत उत्पन्न करने, ऐसी नई चीजे खोजें जिनसे प्यार हो सके तथा उनमें नैतिकता का ऐसा जुनून पैदा करे जिससे कि उनमें मानव कल्याण भावना प्रबल हो ताकि वे जीवन की अच्छाई व बुराई में भेद कर सकें।

आज आवश्यकता है ऐसी नैतिक शिक्षा शुरू करने की जिसमें चरित्र निर्माण की सर्वोत्तम परंपराएं व प्रथाएं शामिल हों। एक अच्छी शिक्षा का अर्थ है एक बेहतर इंसान बनना, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि हम विश्वास और भक्ति के साथ सामान्य नैतिक कोड का पालन करें। यह हमारे शरीर के साथ ही मन को प्रेरित करने के लिए तैयार करता है। यह हमारी सोच, वाणी और क्रियाओं को बदलता है जिसके माध्यम से हम ऐसी आदतों का निर्माण करते हैं जो बदले में हमारे चरित्र के ताने–बाने को निर्धारित करते हैं।

चरित्र निर्माण के लिए दूसरों को प्यार करना एक और बेहतरीन उपकरण है। यह उस विचार पर आधारित है कि हम हमेशा अपनी इच्छाओं का विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने उच्चतर प्यार पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी इच्छाओं को बदल सकते हैं और उनका क्रम पुनः निर्धारित कर सकते हैं। हम अपने बच्चों, देश, गरीबों तथा वचिंतों को प्यार करें। ऐसे कार्यों के लिए त्याग करना अच्छी बात है। अपने अजीजों को प्यार करना अच्छा लगता है। प्यार बांटने से हमारा प्यार और अधिक समृद्ध व विकसित हो जाता है। इस प्रक्रिया से हमारी सोच सकारात्मक बनती है जिससे हमारा सद्चरित्र विकसित होता है।

व्यक्ति के चरित्र में अनेक खामियां होती हैं, अतः व्यक्ति को अपने मन को लक्ष्यपरक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी गलतियों की ओर संतुलित रवैया अपनाना चाहिए, सदा ईमानदार रहें, ईर्ष्या व द्वेष पर काबू पाएं। याद रहे कि ईर्ष्या व द्वेष व्यक्ति के अंतःकरण को नुकसान पहुंचाते हैं। यदि हम अच्छे चरित्र के प्रत्यक्ष सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं तथा अपनी कमियों को नहीं त्यागते हैं जो हमारी शारीरिक संरचना व अहं की अटूट पहचान है, तो हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। व्यक्ति को हमेशा अच्छे गुणों को विकसित करना चाहिए जो सद्चरित्र के लिए आवश्यक हैं। व्यक्ति की योग्यता का पैमाना उसकी शैक्षणिक सफलताएं नहीं हैं, और न ही उसकी पेशेवर सफलता अथवा उपलब्धियां, न ही उसकी संचित धन–दौलत बल्कि उसका चरित्र, ईमानदारी,, अथवा साधारण शब्दों में उसका आचरण। जब लोग किसी की योग्यता का निर्णय लेने के लिए चरित्र का मूल्यांकन करना आरंभ कर देंगे तो इससे समाज में व्याप्त चरित्र के संकट पर काबू पाने में सफलता मिलेगी।

**आशुतोष कुमार**
वरिष्ठ प्रबंधक (विधि)
कारपोरेट कार्यालय

**अनुवादः रामफल यादव**
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)

# राजभाषा नीति की मुख्य बातें

**राजभाषा नीति के संबंध में संवैधानिक प्रावधान**

जब तक कि संसद कानून द्वारा कोई अन्य व्यवस्था न कर दे, संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्षों की अवधि समाप्त होने पर हिंदी संघ की राजभाषा होगी।

**राजभाषा अधिनियम 1963 का बनाया जाना**

यह अधिनियम 26 जनवरी, 1965 से लागू किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य हिन्दी के साथ–साथ अंग्रेजी भाषा को भी संघ व संसद की राजभाषा के रूप में जारी रखने का प्रावधान करना था। तथापि, इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि कुछ विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के लिए (संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, नोटिफिकेशन, प्रशासनिक रिपोर्ट, संसद के किसी सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, संविदाएं, टेंडर, करार, परमिट, लाइसेंस, नोटिस, प्रेस विज्ञप्ति इत्यादि–कुल 14 दस्तावेज), हिन्दी तथा अंग्रेजी, दोनो भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। इसका उल्लेख अधिनियम की धारा 3(3) में किया गया है। इस सबके होते हुए भी, इस अधिनियम में हिंदी को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है जिससे कि भविष्य में हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ले सके ।

**संसदीय राजभाषा समिति**

राजभाषा अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि राजभाषा अधिनियम 1963 के लागू होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के बाद संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया जाएगा जिसके कुल 30 सदस्य होंगे। जिनमें से 20 सदस्य लोक सभा के होंगे तथा 10 सदस्य राज्य सभा के होंगे। यह समिति हिन्दी की प्रगति की समीक्षा करेगी तथा अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करेगी। तदनुसार, माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। इस समिति का एक उपाध्यक्ष भी है। वर्तमान समिति के उपाध्यक्ष डॉ सत्यनारायण जटिया जी है। (समिति सचिवालय का पत्र संख्याः 13011/4/2014–समिति–4/286 दिनांक 30.10.2014)

इस समिति को आगे तीन उप समितियों, समिति–1, समिति–2 तथा समिति–3 में बांटा गया है। इन तीन उप समितियों के अलग–अलग से एक संयोजक होते हैं। डॉ. सत्यव्रत चतुर्वेदी उप समित–1, डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी उप समिति–2 तथा श्री हुक्म देव नारायण यादव उप समिति–3 के संयोजक हैं।

एमएमटीसी लिमिटेड उप समिति–3 के तहत आती है जिसके संयोजक श्री हुक्म देव नारायण यादव हैं।

उपरोक्त तीन उप समितियों के अतिरिक्त एक और उप समिति है जिसका नाम आलेख एवं साक्ष्य उप समिति है। इस समिति के अध्यक्ष मुख्य समिति के उपाध्यक्ष होते हैं तथा उपरोक्त तीनों उप समितियों के संयोजक तथा समिति के अन्य कुछ सदस्य इसके सदस्य होते हैं।

**हिन्दी के ज्ञान के आधार पर कर्मचारियों का वर्गीकरण।**

हिन्दी ज्ञान के आधार पर कर्मचारियों को विभिन्न दो वर्गों में बांटा गया हैः

1. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी।
2. हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी।

कर्मचारियों के हिन्दी ज्ञान के आधार पर उन्हे हिन्दी भाषा के विभिन्न पाठयक्रमों में नामित किया जाता है। प्राज्ञ पाठयक्रम की परीक्षा पास करने वाले कर्मचारी को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी माना जाता है।

**किस कर्मचारी को हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी माना जाएगा :**

राजभाषा नियम 1976 के नियम 9 (ए, बी तथा सी) के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा हिंदी को एक विषय के रूप में लेकर पास किया हो अथवा उसने भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के तहत हिंदी की प्राज्ञ परीक्षा पास की हो अथवा कर्मचारी ने घोषणापत्र देकर स्वयं को कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी घोषित किया हो।

हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है – **कमलापति त्रिपाठी**

**किस कर्मचारी को हिंदी में प्रवीण माना जाएगा :**

राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (ए, बी) के प्रावधानों के अनुसार–यदि कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा हिंदी माध्यम से पास की हो अथवा डिग्री या इससे उच्चतर स्तर की परीक्षा हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर पास की हो अथवा कर्मचारी ने घोषणापत्र देकर स्वयं को हिंदी में प्रवीण घोषित किया हो।

**कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान देने के लिए प्रशिक्षण :**

कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए कार्यसाधक बनाने के लिए केंद्र सरकार के हिंदी शिक्षण योजना संस्थान द्वारा चार–स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि कर्मचारी अपना कार्यालयीन कार्य हिंदी में कर सकें। ये कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :

**प्रबोध**

**प्रबोध के लिए पात्रता:** जिन कर्मचारियों की मातृभाषा – कन्नड / मलयालम / तमिल / तेलुगु / मणिपुरी / मिजो / अंग्रेजी है अथवा उन्हें हिंदी का प्राथमिक स्तर का ज्ञान नही है।

**प्रवीण**

**प्रवीण के लिए पात्रता :** जिन कर्मचारियों की मातृभाषा – मराठी / सिंधी / गुजराती / मैथिली / संथाली / बोडो / डोगरी / नेपाली / बंगाली / असमिया / उड़िया है अथवा प्रबोध परीक्षा पास की है / मिडिल स्तर का हिंदी ज्ञान नही है।

**प्राज्ञ**

**प्राज्ञ के लिए पात्रता :** जिन कर्मचारियों की मातृभाषा – उर्दू / कश्मीरी / पंजाबी / पश्तो है अथवा उनका हिंदी के ज्ञान का स्तर मैट्रिक स्तर से कम है।

पारंगत (वर्ष 2015–16 से आरंभ किया गया – का.ज्ञा.सं. 12012 / 03 / 2015–ओएल (पालिसी) दिनांक 22.04.2015)

**पारंगत के लिए पात्रता :** जिन कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है (इसका उद्देश्य उन्हें हिंदी में प्रवीण बनाना है)

**कार्यालय को सरकारी गजट में अधिसूचित कराना**

राजभाषा नियम 10(4) में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार के किसी भी कार्यालय के कुल कर्मचारियों के 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उस कार्यालय को सरकारी गजट में अधिसूचित कराया जाता है जिससे कि केन्द्र सरकार के अन्य कार्यालय इसका संज्ञान ले सकें तथा इस अधिसूचित कार्यालय के साथ हिन्दीं में पत्र व्यवहार कर सके।

**प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को व्यक्तिशः आदेश जारी करना**–कार्यालय के अधिसूचित हो जाने पर कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख ऐसे कर्मचारियों को जो हिंदी में प्रवीण हैं, नियम 8(4) के तहत व्यक्तिश आदेश जारी कर कार्यालय के किन्ही विनिर्दिष्ट कार्यों को केवल हिंदी में ही करने का आदेश दे सकते हैं ।

**भाषा के आधार पर कार्यालयों का वर्गीकरण**

राजभाषा नियम 1976 के नियम–2 (एफ, जी, व एच) के प्रावधानों के अनुसार देश में स्थिति केन्द्र सरकार के कार्यालयों को 3 क्षेत्रों क्रमशः क, ख व ग में बांटा गया है। इस आधार पर एमएमटीसी क्षेत्रीय कार्यालयों का वर्गीकरण निम्नानुसार है :–

**क क्षेत्र :** कारपोरेट कार्यालय, दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय तथा जयपुर

**ख क्षेत्र :** मुंबई और अहमदाबाद

**ग क्षेत्र :** चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता (बैंगलोर, कोच्चि, गोवा)

**कार्यालय में राजभाषा नीति को लागू करने के लिए कौन उत्तदरदायी है?**

संबंधित कार्यालय का प्रमुख (प्रभारी) कार्यालय में राजभाषा

नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदारी है। (राजभाषा नियम 1976 का नियम 12)

**भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति से संबंधित अन्य बातें**

केन्द्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय में प्रशासनिक प्रमुख की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। इस समिति की प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलाई जाती है जिसमें संबंधित कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाती है। इन बैठकों का आयोजन इस प्रकार से किया जाए कि 2 बैठकों के बीच समय अंतराल बराबर रहे। (कार्यालय ज्ञापन–12024/1/87 –आरबी (बी–2) दिनांक 21.01.1988) (वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक तिमाही में एक बैठक) ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्यता लेना तथा इसकी बैठकों में संबंधित कार्यालय प्रमुख तथा हिन्दी अधिकारी/नोडल अधिकारी का भाग लेना अनिवार्य है। इसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। यदि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो ऐसी लापरवाही को संसदीय राजभाषा समिति काफी गंभीरता से लेती है। (राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम की मद संख्या 14 (बी)– प्रत्येक वर्ष दो बैठकें)।

भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करना ।

**हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन**

हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन इस प्रकार से किया जाए कि कार्यालय के प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम 2 वर्ष में एक बार कार्यशाला में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। तथापि, संसदीय राजभाषा समिति की अपेक्षा रहती है कि वर्ष के दौरान कम से कम 4 कार्यशालाएं अवश्य ही आयोजित की जाएं। (कार्यालय ज्ञापन : 12012/81/2015–ओएल(इंप्ली.)/भाग–2 दिनांक 29.02.2016)।

पर्याप्त संख्या में हिंदी की पुस्तकें खरीदना तथा उन्हें कर्मचारियों को जारी करने के लिए कार्यालय के पुस्तकालय में रखना। पुस्तकों की खरीद पर खर्च की गई कुल राशि का 50 प्रतिशत हिंदी की पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया जाना आवश्यक है। (कार्यालय ज्ञापन–11011/15/2002–ओएल (रिसर्च) दिनांक 14.11.2013)।

कंपनी के विभिन्न कार्यालयों में हिंदी के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम कुल 25 प्रतिशत कार्यालयों का हिंदी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है। (मद संख्याः 13 भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम)।

कंपनी के सभी कार्यालयों में प्रतिवर्ष 14 सितंबर के अवसर पर हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़े का आयोजन किया जाए।

यदि किसी कार्यालय का संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण किया गया है तो उस निरीक्षण के दौरान समिति को दिए गए आश्वासनों पर यथासमय अनुवर्ती कार्रवाई की जाए।

कार्यालय में प्राप्त हिंदी में लिखे गए अथवा हिंदी में हस्ताक्षरित सभी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिए जाएं। (राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार)

**हिंदी में लिखे गए दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद**

कोई भी कर्मचारी/अधिकारी जिसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, हिंदी में लिखे गए किसी भी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग नहीं कर सकता सिवाय उस स्थिति में यदि उक्त दस्तावेज विधिक अथवा तकनीकी प्रकार का हो (राजभाषा नियम 1976 का नियम 8(2)।

**हिंदी में विज्ञापन**

राजभाषा विभाग ने अपने दिनांक 30.06.2017 के कार्यालय

ज्ञापन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार के किसी भी कार्यालय द्वारा जारी किया जाने वाला विज्ञापन चाहे वह अंग्रेजी में हो अथवा किसी क्षेत्रीय भाषा में, अनिवार्य रूप से हिंदी में भी जारी किया जाए। वर्तमान में संसदीय राजभाषा समिति की अपेक्षा है कि अंग्रेजी अथवा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जारी किए गए विज्ञापनों पर हुए कुल खर्च की 50 प्रतिशत राशि हिंदी विज्ञापन पर खर्च होनी चाहिए।

**एमएमटीसी में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं**

**स्टाफ कैडर स्तर से अपर महाप्रबंधक स्तर के कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना–**

इस योजना में माइका प्रभाग के कर्मचारियों सहित कंपनी के अपर महाप्रबंधक स्तर तक के अधिकारी भाग ले सकते हैं। यह योजना तिमाही आधार पर लागू की गई है। इस योजना के तहत कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक तिमाही में निर्धारित पत्र/नोटिंग्स/सेवा पुस्तिकाओं तथा रजिस्टरों में प्रविष्टियां हिंदी में लिखने पर उन्हें प्रत्येक तिमाही के लिए 600/– रूपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है।

**एमएमटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए हिन्दी प्रोत्साहन योजना –**

यह प्रोत्साहन योजना महाप्रबंधक तथा उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत महाप्रबंधक तथा उससे ऊपर के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक तिमाही में निर्धारित स्तर तक हिन्दी में काम करने के लिए प्रति तिमाही रुपए 500/– की राशि देय है।

**हिंदी पत्राचार तथा नोटिंग के लिए लक्ष्य**

(वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य – मद संख्या 1 तथा 3)

**'क' क्षेत्र** (कारपोरेट कार्यालय, डीआरओ, जयपुर) से 'क' क्षेत्र के साथ तथा 'क' से **'ख' क्षेत्र** (मुंबई तथा अहमदाबाद) के साथ – 100 प्रतिशत

**'क' से 'ग' क्षेत्र** (चेन्नै, हैदराबाद, विशाखापटनम, भुवनेश्वर, कोलकता (बंगलौर, कोच्चि, गोवा) – 65 प्रतिशत

– हिंदी नोटिंग – 75 प्रतिशत

.....

**'ख' क्षेत्र** (मुंबई तथा अहमदाबाद) से 'ख' क्षेत्र के साथ तथा **'ख' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र** (कारपोरेट कार्यालय, डीआरओ, जयपुर) – 90 प्रतिशत

**'ख' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र** (चेन्नै, हैदराबाद, विशाखापटनम, भुवनेश्वर, कोलकता (बंगलौर, कोच्चि, गोवा) के साथ – 55 प्रतिशत

हिंदी नोटिंग – 50 प्रतिशत

.....

**'ग' क्षेत्र** (चेन्नै, हैदराबाद, विशाखापटनम, भुवनेश्वर, कोलकता (बंगलौर, कोच्चि, गोवा) से 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र के साथ : 55 प्रतिशत

...हिंदी नोटिंग – 30 प्रतिशत

एमएमटीसी के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों से मेरा आग्रह है कि वे कार्यालय में राजभाषा नीति का गंभीरता से अनुपालन करें जिससे कि संसदीय राजभाषा समिति निरीक्षण के दौरान इस संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी न करें। यह हम सभी का कर्तव्य होने के साथ–साथ वैधानिक आवश्यकता भी है।

**तपस कुमार सेनगुप्ता**
निदेशक(कार्मिक)

मैं उन लोगों में से हूँ, जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है – **लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक**

# संसदीय राजभाषा समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय विजाग का निरीक्षण

माननीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने दिनांक 24 जनवरी, 2018 को विशाखापटनम में स्थित अन्य कार्यालयों के अलावा एमएमटीसी के क्षेत्रीय कार्यालय विशाखापटनम कार्यालय का निरीक्षण किया। संसदीय राजभाषा समिति के माननीय उपाध्यक्ष डॉ. सत्यनारायण जटिया ने इस निरीक्षण बैठक की अध्यक्षता की। इस निरीक्षण बैठक में माननीय संयोजक श्री हुक्म देव नारायण यादव, समिति के अन्य माननीय सदस्यगण तथा समिति सचिवालय के अधिकारीगण उपस्थित थे।

एमएमटीसी की ओर से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय श्री वेद प्रकाश, निदेशक (कार्मिक) महोदय श्री टी.के. सेनगुप्ता तथा विशाखापटनम क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख महाप्रबंधक श्री जेवीएन राव तथा अन्य अधिकारियों और वाणिज्य विभाग की ओर से संयुक्त निदेशक (राजभाषा) सुश्री उर्मिला हरित ने निरीक्षण बैठक में भाग लिया।

माननीय समिति ने निरीक्षण प्रश्नावली में दी गई सूचना के आधार पर एमएमटीसी में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की। समिति ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए एमएमटीसी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। साथ ही समिति ने कंप्यूटर पर हिंदी कार्य के प्रतिशत में वृद्धि करने पर बल दिया। एमएमटीसी के विशाखापटनम कार्यालय द्वारा हिंदी पत्राचार तथा हिंदी नोटिंग के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर संतोष व्यक्त किया। माननीय समिति का कहना था कि हमारा उद्देश्य केवल निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना ही नही होना चाहिए बल्कि इनसे भी आगे बढकर हमें हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना है। अतः हमें इतने भर से संतोष नहीं कर लेना है बल्कि अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखना है।

**राम पाल**
अपर महाप्रबंधक (राजभाषा)

> *"जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हममें गति और शक्ति न पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, जो हममें संकल्प और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह हमारे लिए बेकार है वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है।"*
>
> **मुंशी प्रेमचंद**

मैं उन लोगों में से हूँ, जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है – **लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक**

# कारपोरेट कार्यालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन

प्रतिवर्ष की भांति वर्ष 2017 में भी सितंबर माह में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान हिंदी नोटिंग व ड्राफ्टिंग, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी अनुवाद तथा चित्र अभिव्यक्ति प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।

हिंदी दिवस के अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से एक संदेश जारी किया गया। अपने संदेश में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, हिंदी की महता का उल्लेख करते हुए कंपनी के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों से अपना कार्यालयीन कार्य अधिक से अधिक हिंदी में करने का आग्रह किया। अपने संदेश में उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि निःसंदेह एमएमटीसी में पहले की तुलना में राजभाषा नीति के अनुपालन में काफी सुधार हुआ है परंतु अभी भी इस दिशा में हमें और प्रयास करने हैं। उनका कहना था कि हमें हर स्थिति में वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों को शीघ्र ही पूरा करना है।

पखवाड़े की अवधि के दौरान देखा गया कि कारपोरेट कार्यालय के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों में हिंदी भाषा के प्रति काफी उत्साह था। इस अवधि के दौरान अन्य दिनों की तुलना में कार्यालय में हिंदी के प्रयोग में वृद्धि देखी गई।

आयोजित की गई हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री पी.सी. टंडन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। समारोह की अध्यक्षता निदेशक (कार्मिक) श्री टी.के. सेनगुप्ता जी ने की। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक (कार्मिक) श्री वी.के. पांडेय भी उपस्थित थे। समारोह का संचालन मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) श्री रामफल यादव ने किया। मुख्य अतिथि के स्वागत के बाद समारोह में उपस्थित कर्मचारियों को सर्वप्रथम मुख्य महाप्रबंधक (कार्मिक) ने संबोधित किया। उन्होंने कर्मचारियों से अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने का आग्रह किया।

तत्पश्चात निदेशक (कार्मिक) महोदय से उक्त अवसर पर प्रेरणास्वरूप अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। निदेशक (कार्मिक) ने अपने संबोधन में राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन पर बल दिया। उनका कहना था कि हिंदी में काम करना आसान है अतः हमें निःसंकोच होकर अपना कार्य अधिक से अधिक हिंदी में करना चाहिए। साथ ही उन्होंने पुरस्कार जीतने वाले कर्मचारियों को बधाई दी तथा उन कर्मचारियों के लिए भविष्य में सफलता की कामना की जिन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग तो लिया था परंतु वे पुरस्कार पाने में सफल नहीं हुए।

निदेशक महोदय के संबोधन के बाद पुरस्कार वितरण आरंभ किया गया। पुरस्कार जीतने वाले कर्मचारियों को बारी–बारी से निदेशक (कार्मिक), मुख्य महाप्रबंधक (कार्मिक) तथा मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए।

पुरस्कार वितरण के बाद मुख्य अतिथि ने अपना सारगर्भित भाषण दिया। उन्होंने कहा कि संविधान की आठवीं सूची में शामिल सभी 22 भाषाओं का विशेष महत्व है। परंतु इनमें से हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश के जनमानस को एक दूसरे से जोड़ने का मादा रखती है। हिंदी भाषा ने देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह भाषा देश के हर कोने के लोगों को एक दूसरे के समीप लाने में सेतु की भूमिका निभाती है। यह पूरे देश की संपर्क भाषा बन गई है।

अंत में वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) श्री महेंद्र सिंह ने निदेशक (कार्मिक), मुख्य अतिथि, मुख्य महाप्रबंधक (कार्मिक) तथा समारोह में उपस्थित कार्मिकों के प्रति समारोह में उपस्थित होने के लिए आभार प्रकट किया।

**(राम पाल)**
अपर महाप्रबंधक (राजभाषा)

हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी – **सी. राजगोपालाचारी**

# अशोक विजयदशमी और धम्मचक्र परिवर्तन दिवस

संपूर्ण विश्व को शांति व अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले 'तथागत भगवान बुद्ध द्वारा संघ में दिक्षा के '2561वें संघ दिक्षा दिवस', भारत को विश्वगुरू व सोने की चिड़िया बनाने वाले विश्व के महाप्रतापि व चक्रवर्ती राजा व अखण्ड भारत के 'महान सम्राट अशोक 'के' 2279वें धम्म विजयादशमी'और आधुनिक भारत की धरती पर बुद्ध धम्म का स्तम्भ गाड़ने वाले महामानव 'परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी'के '61वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस' के पावन अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध में विजयी होने के दसवें दिन तक मनाये जाने के कारण इसे अशोक विजयदशमी कहते हैं। इसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म की दीक्षा भी ली थी।

विजय दशमी बौद्धों का पवित्र त्यौहार है। यह बौद्ध धम्म का एक प्रसिद्ध पर्व है। प्राचीन काल में सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। युद्ध के विनाश को देख कर उनके दिल को बहुत पीड़ा पहुंची थी।

सम्राट अशोक ने दशमी को ये घोषणा की कि आज के बाद मैं कभी हथियार से विजय नहीं करूँगा, मैं हथियार को त्यागता हूँ तथा आज के बाद केवल धम्म विजय करूँगा।

उस समय के बाद उस दिन को भारत में ही नहीं अन्य बौद्ध राष्ट्रों में भी परस्पर मैत्री और मातृ भाव को उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिए सर्वत्र मनाया जाता है। सम्राट अशोक ने धम्म विजय को ही सबसे बड़ी विजय कहा। इस दिन सम्राट ने धम्म विजय का संकल्प लिया।

ऐतिहासिक सत्यता है कि महाराजा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग त्याग कर बौद्ध धम्म अपनाने की घोषणा कर दी थी। बौद्ध बन जाने पर वह बौद्ध स्थलों की यात्राओं पर गए। तथागत गौतम बुद्ध के जीवन को चरितार्थ करने तथा अपने जीवन को सार्थक करने के निमित्त हजारों स्तूपों, शिलालेखों व धम्म स्तम्भों का निर्माण कराया। सम्राट अशोक के इस धार्मिक परिवर्तन से खुश होकर देश की जनता ने उन सभी स्मारकों को सजाया संवारा तथा उस पर दीपोत्सव किया।

यह आयोजन हर्षोल्लास के साथ 10 दिनों तक चलता रहा, दसवें दिन महाराजा ने राजपरिवार के साथ पूज्य भंते मोग्गिलिपुत्त तिष्य से धम्म दीक्षा ग्रहण की। धम्म दीक्षा के उपरांत महाराजा ने प्रतिज्ञा की, कि आज के बाद मैं शस्त्रों से नहीं बल्कि शांति और अहिंसा से प्राणी मात्र के दिलों पर विजय प्राप्त करूँगा। इसीलिए सम्पूर्ण बौद्ध जगत इसे अशोक विजयदशमी के रूप में मनाता है। जय धम्म अशोक।

### 'अहिंसा द्वारा शांति स्थापित करने का पर्व है अशोक विजयदशमी'

अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को सम्राट अशोक ने कलिंग विजय प्राप्त करके प्रतिज्ञा ली थी, कि वह अब शस्त्र के द्वारा दूसरों पर विजय प्राप्त करने के बजाय भगवान बुद्ध के अहिंसा के मार्ग पर चलकर स्वयं पर विजय प्राप्त करेगा। चूंकि यह घटना अश्विन माह की दशमी को घटी थी। इसलिए इस दिन को अशोक विजयदशमी के नाम से पिछले दो हजार वर्षों से मनाया जा रहा है।

यह दिवस विश्व के लिए हिंसा से अहिंसा में परिवर्तन होने का पर्व बन गया। यह दिन चंड अशोक के धम्म अशोक बनने का दिवस बन गया। यह दिवस दूसरों पर युद्धों द्वारा जीतने के स्थान पर साधना (विपश्यना) द्वारा अपने को जीतने का दिवस बन गया। मानव इतिहास में स्वयं मन परिवर्तन की इतनी बड़ी घटना का दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। मन परिवर्तन की इतनी बड़ी घटना कैसे घटी इसे इस कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है।

2300 वर्ष पूर्व भारत अनेक कबीलों में बटा हुआ था। सभी कबीलों के सरदार आपस में लड़ते रहते थे। महानंद पदम ने पहली बार इन सभी कबीलो को एकत्रित करके एक छोटे राज्य की स्थापना की। तत्पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी राजा से राज्य छीन कर इस राज्य का विस्तार किया। उनके पुत्र सम्राट बिंदुसार ने उसका और विस्तार किया। किंतु कलिंग जिसे आज

उड़ीसा कहते हैं, वह उनके राज्य में नहीं था। भारत के प्रथम सम्राट बिंदुसार बने। इसके बाद अशोक सम्राट बने। सम्राट अशोक को यह पसंद नहीं आया कि कलिंग देश से अलग रहे। उन्होंने भारी सेना के साथ कलिंग पर हमला बोल दिया। 300 दिन में इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया कि जिसमें लाखों लोग मारे गए। हजारो लाखों माताएं विधवा हुई। बच्चे अनाथ हुए।

इस युद्ध के बाद एक ओर जहां जीत की खुशी थी वहीं दूसरी ओर लाखों लोगों, हाथी व घोड़ों की मौत का सवाल था। इन सब मौतों का दुख सम्राट के मन को ज्यादा सताने लगा, किसलिए इतना खून बहाया गया। परेशान अशोक पाटलिपुत्र में अपने महल की छत पर इधर उधर घूम रहे थे। कैसे दुखी मन को हल्का करें। महल की छत पर टहलते टहलते महल के पीछे से जाने वाले एक मार्ग पर जाते हुए एक भिक्षु पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस संन्यासी को तुरंत यहां बुलाया जाए। कौन था यह संन्यासी।

कुछ इतिहासकारों के अनुसार सम्राट अशोक के 100 भाई थे। अशोक सबसे बड़े भी नहीं थे। सम्राट बिंदुसार के बाद किसको सम्राट बनना है यह विधि ने तय करना था। सम्राट बिंदुसार के समय उज्जैन में हुए विद्रोह को दबाने के लिए जिस कुशलता से सम्राट ने अपनी राजनीतिक कुशलता का परिचय दिया उससे अशोक में सम्राट बनने की लालसा प्रबल हुई। कहते हैं कि अशोक ने एक भोज का आयोजन किया जिसमें अपने सभी भाई–बहनों भार्याओं को उनके बच्चों सहित आमंत्रित किया गया। अशोक की शादी भी विदिशा के एक व्यापारी की लड़की देवी से हो चुकी थी। देवी बुद्ध के ज्ञान को समझ चुकी थी। उसमें करुणा, दया, मैत्री जैसे बुद्ध गुण विकसित हो चुके थे। इस भोज में कहते हैं कि अशोक ने अपने सभी भाइयों तथा उनकी पत्नियों को कत्ल करने का आदेश दे दिया। सभी भाई व भार्याएं मारी गई किंतु एक भार्या क्योंकि उस समय गर्भवती थी उसने अशोक की पत्नी देवी से गर्भ में पल रहे अपने जीव के लिए जीवन मांगा कि वह कोई उपाय करें जिससे इस होने वाले गर्भ शिशु का जीवन बच सकें।

करुणामई अशोक की पत्नी देवी के दिल में दया जागी और उसने महल से बाहर निकलने वाले गुप्त मार्ग का रास्ता खुलवा दिया। अशोक के भाई की यह गर्भवती पत्नी इस गुप्त मार्ग से बाहर आ गई। यह रास्ता जंगल में खुलता था। जंगल में ही उसने कुछ समय के बाद एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम निग्रोथ रखा गया। निग्रोथ जंगल में रह रहे बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में आया। उसने बचपन में ही धम्म दीक्षा ले ली थी। बुद्ध की करुणा, न्याय, समानता व भाईचारे के सिद्धांतों से वह अवगत हो चुका था। निग्रोथ तब 11 साल का हो चुका था। अनायास ही वह उस दिन महल के पीछे वाले रास्ते से जा रहा था।

सम्राट के आदेशानुसार सिपाहियों ने उस संन्यासी को महल में बुलाया तथा सम्राट अशोक से भेंट करवाई। अशोक पूछते हैं कि आप कौन हैं ? संन्यासी ने अशोक के प्रश्न पर प्रति प्रश्न करते हुए कहा कि क्या आप यह भी नहीं देख पा रहे कि मैं कौन हूं क्या आप को यह भी नहीं पता कि मैं कौन हूं। यदि आप यह भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं तो आपको सम्राट किसने बना दिया।

यह सुनकर अशोक चकित रह गया। वह भौंचक ही रह गया कि मेरे राज्य में किसी की यह हिम्मत कि मुझसे पूछे कि मुझे सम्राट किसने बना दिया। अशोक फिर पूछते हैं आपका नाम क्या है? बच्चा संयासी कहता है निग्रोथ महाराज। सम्राट निग्रोथ का नाम सुनते ही एक बार फिर चौंक जाते हैं क्योंकि सम्राट को तब तक इस बात का पता चल गया था कि उनके एक भाई की पत्नी जो 11 साल पहले गर्भवती थी वह बच गई थी और उसे एक बालक हुआ जिसका नाम निग्रोथ रखा गया था। इसलिए सम्राट निग्रोथ नाम को सुनकर चौंका और कहा कि यह नाम तो हमारे भतीजे का भी है। इस पर निग्रोथ ने कहा हां महाराज निग्रोथ मैं ही हूं।

सम्राट ने पूछा निग्रोथ आप तो हमसे बहुत घृणा करते होंगे। निग्रोथ ने कहा नहीं महाराज हम आप से घृणा नहीं करते। सम्राट पुनः पूछते हैं निग्रोथ हमने तुम्हारे पिताजी का कत्ल किया फिर भी तुम हमसे घृणा नहीं करते। निग्रोथ कहता है महाराज हमारे धम्म में यह

सिखाया जाता है कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं। इसलिए महाराज हम आपसे घृणा नहीं करते। अशोक सोचता है कि एक 11 साल का बच्चा जिसके पिता की हत्या कर दी गई है और जो जंगल में रहता है वह इतना शांत हैं और मैं इतने बड़े साम्राज्य का राजा हो कर भी अशांत हूं। सम्राट उस भिक्षु से पूछते हैं कि यह ज्ञान उसने किस से लिया है। निग्रोथ कहता है भगवान बुद्ध से। यह सुनकर सम्राट उस 11 साल के बच्चे के चरणों में पड़ जाते हैं। उनका हृदय भगवान बुद्ध का नाम सुनकर हल्का हो जाता है। कलिंग की पीड़ा कम होने लगती है। मन की वेदना दुखद से सुखद में बदलने लगती है। सम्राट का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह एक कल्याणकारी राजा बन जाता है। ऐसा कल्याणकारी जिसकी मिसाल विश्वभर में नहीं है। यह दिन था अश्विन माह का दसवां दिन जिसे तब से विजयदशमी के रुप में मनाते आ रहे हैं।

कहा जाता है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। अशोक के 2300 साल बाद तथा बुद्ध के 2500 साल बाद नागपुर में यह इतिहास दोहराया गया है। 1955 में पहला बुद्ध शासन समाप्त होता है। 1956 में दूसरे बौद्ध का शासन आरंभ होता है। दूसरा बौद्ध शासन का आरंभ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर में दस लाख अनुयायियों के साथ भंते चंद्रमणि से शिक्षा लेकर आरम्भ किया। अशोक विजयदशमी के दिन से बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध शासन का आरंभ किया था। आज यह स्थान दीक्षाभूमि के नाम से जाना जाता है। नागपुर अतीत में भी बौद्धों की भूमि रहा है इसलिए बाबा साहब ने यह स्थान चुना।

जिस स्थल पर नागपुर में बाबा साहब ने दीक्षा ली थी। वहां एक विशाल स्तूप बना है। यहां पर एक बौद्ध विहार भी बना है। यहां पर भीखू निवास एवं एक डिग्री कॉलेज भी बना है। यहां पर हर साल अश्विन माह के दसवें दिन एक महा पर्व का आयोजन होता है। जिसमें देश विदेश से काफी संख्या में लोग आते हैं।

सभी आगंतुक यहां पर रखी बाबा साहेब की अस्थियों का दर्शन करते हैं तथा विश्व शांति एवं विश्व कल्याण की कामना करते हैं। सारे विश्व में भाईचारा बने यह कामना करते हैं। सम्राट अशोक द्वारा जिस कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई थी उस इतिहास को याद करते हैं तथा उस गणतंत्र प्रणाली को भारत भूमि पर दोबारा से सुदृढ़ करने का संकल्प लेते हैं। न केवल भारत के बौद्धों का अपितु विश्व के बौद्धों के लिए भी नागपुर एक बौद्ध धम्म स्थल के रुप में विकसित हो चुका है।

आइए हम सब मिलकर उस महान कल्याणकारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए आगामी अश्विन पूर्णिमा को सहर्ष प्रतिज्ञा लें कि हम भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित न्याय समानता भाईचारे व कल्याण जैसे मानव मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने में अपना सहयोग करेंगे। सभी को हिंसा त्यागने की शपथ दिलाएं तथा अहिंसा के मार्ग पर चलकर विश्व मे शांति स्थापित करने और सभी के सुख में कल्याण की कामना करेंगे।

हम आगामी अशोक विजयदशमी को उत्साहपूर्वक परम के रुप में इन प्रतिज्ञाओं के साथ मनाएं कि हम हिंसा को त्यागकर अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे हम दूसरे को जीतने की बजाय स्वयं को जीतेंगे। हम सभी प्राणियों की समान रुप से रक्षा करेंगे। सभी को न्याय व समानता की व्यवस्था का समर्थन करेंगे। सभी के लिए उन्नति के समान अवसर का समर्थन करेंगे। विश्व शांति के लिए अपना सहयोग देंगे तथा अशोक विजयदशमी को सदा अहिंसा के पर्व के रूप में प्रतिवर्ष मनाएंगे, स्वयं शुद्धि के लिए मार्ग पर चलेंगे तथा सभी के कल्याण की भावना का प्रचार करेंगे।

आप सभी को आगामी अशोक विजयादशमी और धम्मदीक्षा दिवस के पावन पर्व की हार्दीक शुभकामनाएं ।

**नमोः बुद्धाय। जय भीम। जय भारत।**

**अशोक कुमार**
अध्यक्ष
एमएमटीसी एससी/एसटी कर्मचारी
कल्याण संघ एवं महासचिव
अखिल भारतीय एमएमटीसी एससी/एसटी
कल्याण महासंघ

# एमएमटीसी के विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी की गतिविधियों की झांकी

राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है – **महात्मा गांधी**

# पूर्व राष्ट्रपति डॉ कलाम के विचार

- किसी भी सपने को साकार करने के लिए सपना देखना पड़ता है।
- महान स्वप्नदर्शी के महान स्वप्न हमेशा सर्वोत्कृष्ट होते हैं।
- जो लोग समर्पित होकर काम नहीं कर सकते उन्हें छिछला और आधा–अधूरा ही हाथ लगता है और उससे चारों ओर कटुता पनपती हैं।
- महज अनजाने भविष्य के लिए जीना छिछली बात है।
- जीना एक मुश्किल खेल है। आप इसे जीत सकते हैं बशर्ते आप एक इंसान बनने के अपने जन्मजात अधिकार को संजोए रख सकें।
- हमे समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और न ही हमें परास्त करने की उन्हें अनुमति देनी चाहिए।
- मैं जिसे बदल नहीं सका, उसे स्वीकारने को तैयार रहा।
- सफलता का लुत्फ उठाने के लिए हर मनुष्य के लिए जरूरी है कि वह कठिनाइयों से अनुभव प्राप्त करे।
- ऐसी शक्तियां होती हैं जो जीवन के पक्ष व विपक्ष में काम करती हैं। हर किसी को द्वेषपूर्ण शक्तियों में से लाभकारी शक्तियों का सही चयन करना चाहिए।
- आत्म निर्भरता से ही आत्म सम्मान प्राप्त किया जा सकता है।
- पृथ्वी सबसे शक्तिशाली व ऊर्जावान ग्रह है।
- चोटी पर चढ़ाई में शक्ति की जरूरत होती है, वह चाहे माउंट–एवरेस्ट पर चढ़ने की बात हो या फिर अपने कैरियर को ऊंचाई पर ले जाने की।
- पृथ्वी खुद अपनी धुरी पर घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं सूर्य के चारों ओर उसकी परिक्रमा पूरी होने से वर्ष बनता है। जब तक ये दोनों खगोलीय घटनाएं होती रहेंगी तब तक हर घड़ी मेरे लिए शुभ है।

मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूं पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो, यह मैं सह नहीं सकता – **आचार्य विनोबा भावे**

# प्रेमबंधन

सर्वप्रथम इस धरा पर जब पहला
प्रेम का अंकुर उग आया होगा
प्रत्येक दिशा गूंज उठी होगी तब
कण–कण प्रकाश में नहाया होगा

शशि विभोर हो नृत्य करता होगा
सूर्य अग्नि त्याग कोने बैठा होगा
प्रत्येक हृदय धवल उज्ज्वल हो कर
सारी मलीनता को धोने बैठा होगा

वासंती ने प्रथम गीत रचा होगा
प्रथम सुर जीवन का फूटा होगा
उफनता सिंधु बंध सा गया होगा
उसका दम्भ भी पल में टूटा होगा

विस्तृत आकाश में कई इंद्रधनुष
साथ–साथ उभर कर आये होंगे
उस विहंगम दृश्य को देखने देव
स्वर्ग छोड़ उतर कर आये होंगे

प्रथम स्पंदन हुआ होगा हृदय में
पंछियो ने प्रथम उड़ान भरी होगी
नेत्र सजल हुये होंगे प्रसन्नता से
प्रत्येक अधर ने मुस्कान भरी होगी

कई दिवस सूर्य न अस्त हुआ होगा
धरा प्रकाश से दीप्तिमान रही होगी
पुष्प खिलकर किसी पथ में बैठे होंगे
उनकी गंध ही विद्यमान रही होगी

ईश्वर स्वयं प्रकट होकर प्रेम देव के
चरणो में अपना शीश नवाते होंगे
इस अद्भुत भावना के लिये उनकी
अपने हाथो से पीठ थपथपाते होंगे

नदिया, सागर, पर्वत, जीव जंतु सब
मादकता से अनियंत्रित हो गये होंगे
जीवन के सब बंधन पावन प्रेम मंत्रो
से ही गूंज कर अभिमंत्रित हो गये होंगे

तब अश्रु न रहे होंगे किसी नेत्र में
हर हृदय बस प्रेम से पुलकित होगा
सब रंग छिटक गये होंगे धरा पर
अंग–अंग प्रेम रंग में रंजित होगा

हृदय के तार–तार में एक सुमधुर
सरगम लिये सितार बजता होगा
वसंत की छटा लिये फूल–फूल में
इस धरा का शृंगार दिखता होगा

एक धागा बना होगा एक छोर से
दूसरे छोर को बांधते हुये बंधन में
मृग अकारण कुलांचे मारते होंगे
पर्व और उत्सव मना होगा वन में

मेघ आकाश से रिमझिम–रिमझिम
जीवन दायक अमृत बरसाते होंगे
वर्षो से प्यासे पपीहे के स्वर आज
एकाएक तृप्त हो थम जाते होंगे

उस प्रथम उपजे प्रेम अंकुर ने ही
अब तक इस धरती को थामा है
उसी में उगते सूर्य का प्रकाश है
उसमे ही गहन रात्रि की श्यामा है

वही स्पंदन है, वही कोमलता है
वही सौंदर्य है, वही राग जीवन का
वही जो मूल है, वही शिखर है
इस जीवन के सारे बंधन का

जिस हृदय में प्रेम नहीं वो भला
कैसे एक मानव हो सकता है
ऐसा कठोर एक पाषाण ही होगा
बस वो दानव ही हो सकता है

जिसको ये रस मिल जाये उसे
किसी और रस की चाह नही
रस पथ पर अग्रसर पथिक की
मुक्ति की और कोई राह नहीं

**सुदर्शन कुमार भदोला**
मुख्य कार्यालय प्रबंधक

जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य का गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता – **डॉ. राजेंद्र प्रसाद**

# हमारे जीवन में खुशी, समर्पण और प्रेम बरसाने वाली हर महिला को सादर समर्पित

लोग सच कहते हैं –
औरतें बेहद अजीब होती हैं
रात भर पूरा सोती नहीं
थोड़ा थोड़ा जागती रहती हैं
नींद की स्याही में
उंगलियां डुबो कर
दिन की बही लिखती
टटोलती रहती हैं
दरवाजों की कुंडियां
बच्चों की चादर
पति का मन
और जब जागती है सुबह
तो पूरा नहीं जागती
नींद में ही भागती है
सच में, औरतें बेहद अजीब होती हैं
हवा की तरह घूमती, कभी घर में,
कभी बाहर टिफिन में रोज
नयी रखती कविताएं
गमलों में रोज बो देती आशाएं
पुराने अजीब से गाने गुनगुनाती
और चल देती फिर
एक नए दिन के मुकाबिल
पहन कर फिर वहीं सीमायें
खुद से दूर हो कर भी
सब के करीब होती है
औरतें सच में, बेहद अजीब होती है
कभी कोई ख्वाब पूरा नहीं देखती
बीच में ही छोड़ कर देखने लगती हैं
चूल्हे पे चढ़ा दूध
कभी कोई काम पूरा नहीं करती
बीच में ही छोड़ कर ढूंढने लगती हैं
बच्चों के मोजें, पेंसिल, किताब
बचपन में खोई गुड़िया
जवानी में खोए पलाश
मायके में छूट गई स्टापू की गोटी
छिपन–छिपाई के ठिकाने
वो छोटी बहन छिप के कहीं रोती
सहेलियों से लिए–दिये
या चुकाए गए हिसाब
बच्चों के मोजे, पेंसिल, किताब
खोलती बंद करती खिड़कियां
क्या कर रही हो?
सो गई क्या?
खाती रहती झिड़कियां
न शौक से जीती हैं
न ठीक से मरती हैं
कोई काम ढंग से नहीं करती हैं
सच में, औरतें बेहद अजीब होती है
कितनी बार देखी है
मेकअप लगाए
चेहरे के नील छिपाए
वो कांस्टेबल लड़की
वो ब्यूटीशियन
वो भाभी, वो दीदी
चप्पल के टूटे स्ट्रैप को
साड़ी के फाल से छिपाती
वो अनुशासन प्रिय टीचर
और कभी दिख ही जाती है
कॉरीडोर में, जल्दी जल्दी चलती
नाखूनों से सूखा आटा झाड़ते
सुबह जल्दी से नहाई
अस्पताल में आई वो लेडी डॉक्टर
दिन अक्सर गुजरता है शहादत में
रात फिर से सलीब होती है
सच में, औरतें बेहद अजीब होती है
सूखे मौसम में बारिशों को
याद कर के रोती है
उम्र भर हथेलियों में
तितलियां संजोती हैं
और जब एक दिन
बूंदें सचमुच बरस जाती हैं ?
हवाएं सचमुच गुनगुनाती हैं
फिजाएं सचमुच खिलखिलाती हैं
तो ये सूखे कपड़ों, अचार, पापड़
बच्चों और सारी दुनिया को
भीगने से बचाने को दौड़ जाती है
सच में, औरतें बेहद अजीब होती हैं
खुशी के एक आश्वासन पर
पूरा पूरा जीवन काट देती हैं
अनगिनत खाईयों को
अनगिनत पुलों से पाट देती हैं
सच में, औरतें बेहद अजीब होती हैं
ऐसा कोई करता हे क्या ?
रस्मों के पहाड़ों, जंगलों में
नदी की तरह बहती
कोंपल की तरह फूटती
जिंदगी की आंख से
दिन रात इस तरह
और कोई मरता है क्या?
ऐसा कोई करता है क्या?
सच में, औरतें बेहद अजीब होती हैं ....

**डौली नांरग**
मुख्य कार्यालय प्रबंधक
कारपोरेट कार्यालय

हमारी नागरी लिपि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है – **राहुल सांकृत्यायन**

# पत्नी से गुजारिश

कभी तो मायके जा री पत्नी।
मिले कुछ खुली हवा री पत्नी।

साथ रहकर बोर हो गए,
मधुर गीत अब शोर हो गए।
स्नेह–सूत्र कमजोर हो गए,
यार दोस्त सब चोर हो गए।
अब और ना नाच नचा री पत्नी।
कभी तो मायके जा री पत्नी।

एक ही खूंटे से बंध करके,
कुछ ना पाया शादी करके।
तेरी फटकारों से डर के,
हम जीएं हैं बस मर–मर के।
मिल गई बड़ी सजा री पत्नी।
कभी तो मायके जा रही पत्नी।

छीन लिए सब सपन सुहाने,
दफन हुए सब प्यार पुराने।
कर दिए भाई–बहन बेगाने,
नाग–दंश से तेरे ताने।
सब रिश्ते किए स्वाह री पत्नी।
कभी तो मायके जा रही पत्नी।

शाम मनाऊं, मन करता है,
पींऊं–पिलाऊं, मन करता है।
पिक्चर जाऊं, मन करता है,
बाहर खाऊं, मन करता है।
कर दे पूरी चाह री पत्नी।
कभी तो मायके जा री पत्नी।

कुछ दिन खुलके जश्न मनाऊं,
मैं अपनी मर्जी आप चलाऊं।
चाहूं जहां, वहां मैं जाऊं,
मित्र–मंडली को घर लाऊं।
मैं कर लूं खूब मजा री पत्नी।
कभी तो मायके जा री पत्नी।

**पवन कुमार**
हिन्दी टाईपिस्ट

# गेटपास

हे ईश्वर तुझसे मिलने का कोई शॉर्ट–कट बतला दे
या फिर अपने ही कोटे से एक गेटपास भिजवा दें ।

मंदिर की लाईन में, सबसे पीछे मैं होता हूं,
तेरा दर्शन होगा, मन में बहुत खुश होता हूं।
लेकिन अमीरों की लाइन का चक्कर जटिल होता है,
मैं तुझ तक पहुंचू पहले ही द्वार बंद होता है।
हो निराश लौटता हूं मैं निज किस्मत पर रोता,
मिल लेता तुझसे यदि कोई गेटपास ही होता।

मुझसे बहुत बड़े हैं ये सब दौलत, पैसे वाले हैं,
तेरे दर्शन भी करने के मुझको पड़ते लाले हैं।
बड़ी विडम्बना है प्रभु, है खेल तेरा कुछ ऐसा,
छोटे भगत यहां नहीं चलते बस चलता है पैसा।
बहुत पढ़ा था मैंने आप दयालु हैं, परोपकारी,
मेरी भी कुछ सुध लेलो, हे गोवर्धन–गिरधारी

हे ईश्वर जब–जब भक्तो ने तुझे पुकारा मन से,
तुमने सबकी सुध ली और किया पोषित तन–धन से।
मेरी करूणा की वाणी भी हे ईश्वर सुन लो आज,
बहुत विकल है हृदय मेरा दो करूणा प्रसाद।

जीवन का हर एक रहस्य अस्पष्ट है धूमिल है,
है तेरी रहमत की आशा और तेरी करूणा बल है।
इसीलिए हे ईश्वर मंदिर में इक वेकेंशी बनवा दो,
मुझको उसमें गेट कीपर की जगह भर्ती करवा दो।
तेरे सम्मुख सदा रहूं, मैं इस नियुक्ति को पा कर,
फिर न पीछे रहूं कभी मैं खड़ा लाईन में आकर।

**प्रकाश खत्री**
कार्यालय प्रबंधक (मुम्बई)

हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है – **सुमित्रानंदन पंत**

# MMTC LIMITED

## India's Largest International Trading Company

# एमएमटीसी लिमिटेड

## भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी

➢ **IMPORT OF METALS AND INDUSTRIAL RAW MATERIALS SUCH AS:**
- Non Ferrous Metals: Copper, Aluminium, Zinc Ingots, Lead Ingots, Tin ingots, Nickel.
- Minor Metals: Antimony, Silicon, Magnesium, Mercury.
- Industrial Raw Materials, Noble Metals and Ferro Alloys.

➢ **AGRO PRODUCTS**
- Import & Export of Wheat, Rice, Maize, Soyabean Meal, Sugar, Edible Oil, Pulses etc.

➢ **IMPORT OF FERTILISERS**
- Finished (Urea, DAP, MOP), Intermediate & raw materials (Sulphur, Rock Phosphate), Phosphoric Acid, Ammonia, etc.

➢ **IMPORT OF COAL & HYDROCARBON**

➢ **EXPORT OF MINERALS**
- Iron Ore, Manganese Ore, Chrome Ore etc.

➢ **IMPORT OF PRECIOUS METALS**
- Gold, Silver, Rough Diamonds etc.
- Export of Gold and Studded Jewellery

➢ **INTEGRATED IRON AND STEEL PLANT**
- Con cast Steel Billets, Pig Iron, etc.

➢ **धातु एवं औद्योगिक कच्चे माल का आयात जैसे**
- अलौह धातुएं: कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक इन्गट्स, लैड इन्गट्स, टिन इन्गट्स, निकल
- माइनर धातु: एंटीमोनी, सिलीकॉन, मैग्नेशियम, मर्करी
- औद्योगिक कच्चा माल, नोबल मेटल्स व फेरो एलॉयस

➢ **एग्रो प्रोडक्ट्स**
- गेहूं, चावल, मेज, सोयाबीन मील, चीनी, खाद्य तेल, दालों का आयात व निर्यात इत्यादि

➢ **उर्वरक का आयात**
- तैयार (यूरिया, डीएपी, एमओपी), मध्यवर्ती तथा कच्चा माल (सल्फर, रॉक फास्फेट), फासफोरिक एसिड, अमोनिया इत्यादि

➢ **कोल व हाइड्रोकार्बन का आयात**

➢ **खनिजों का निर्यात**
- लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क इत्यादि

➢ **बहुमुल्य धातुओं का आयात**
- गोल्ड, सिल्वर, कच्चे हीरे इत्यादि
- गोल्ड व जड़ित आभूषणों का निर्यात

➢ **इंटीग्रेटिड आयरन व स्टील प्लांट**
- कोनकास्ट स्टील बिल्लेट्स, पिग आयरन इत्यादि

INDIAN GOLD COIN

**Retail Division**

Gold & Silver Medallions, Gold and Studded Jewellery, Sanchi Sterling Silverware Items (Plain / Design, Dining Set / Tea Set, Pooja Items, Decorative Items, Corporate Gifts, etc.)

***And the Indian Gold Coin!***

**खुदरा प्रभाग**

गोल्ड तथा सिल्वर मेडालियन, गोल्ड व जड़ित आभूषण, सांची स्टर्लिंग सिल्वर आर्टिकल्स (प्लेन/डिजाइन, डाइनिंग सेट/टी सेट, पूजा आइटम्स, सजावटी आइटम्स, कॉर्पोरेट उपहार इत्यादि)

***और भारतीय स्वर्ण सिक्का!***

**CONTACT ADDRESS | संपर्क हेतु पता:**

| | | |
|---|---|---|
| **CORPORATE OFFICE**<br>कारपोरेट कार्यालय | Core-1, Scope Complex, 7, Institutional Area,<br>Lodi Road, New Delhi : 110 003<br>Tel: 011-24368426 Fax: 011-24366274<br>Website: www.mmtclimited.com<br>E-mail: mmtc@mmtclimited.com | कोर–1, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया,<br>लोदी रोड, नई दिल्ली – 110 003<br>वेबसाइट: www.mmtclimited.com<br>ई–मेल: mmtc@mmtclimited.com |

facebook.com/MMTC-Limited-207446819664648/ twitter.com/MMTC_Limited/ instagram.com/mmtc_ltd/

एमएमटीसी लिमिटेड, कोर I, स्कोप काम्पलेक्स,
7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

Nirman Advt. Pvt. Ltd., Ph.: 011 - 24328510/11